

स्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय  
इलाहाबाद

वर्ग संख्या .....

पुस्तक संख्या .....

क्रम संख्या .....

---

# नटा ताँ कहां मत

( प्रथम भाग )

लेखक—

डा० कन्हैयालाल सहल

प्रध्याक्ष, हिन्दी-संस्कृत-विभाग,

बिड़ला आर्ट्स कालेज,

पिलानी (राजस्थान)



# निवेदन

पश्चात् पाश्चात्य विद्वानों ने लोक-कथाओं के मूल भावों (Motifs) वैज्ञानिक अध्ययन किया है। प्रस्तुत पुस्तिका में राजस्थानी लोक-कथाओं के कुछ प्रेरक अभिप्रायों का विवेचन हुआ है। Motifs के लिए मूल भाव तथा प्रेरक अभिप्राय दोनों शब्द व्यवहार हैं। कुछ विद्वानों ने इस शब्द के अर्थों के रूप में 'कथातत्व' का प्रयोग किया है। इन मूल भावों के निदर्शनार्थ मैंने राजस्थानी लोक-कथाओं के उदाहरण दिये हैं, उनमें से बहुत लोक-कथाएँ श्रीरावतजी सारस्वत के सौजन्य से प्राप्त हुई हैं जिनके लेखक इनका अत्यन्त आभारी है। राजस्थानी लोक-कथाओं के मूल भाव 'नटो लो कही मत' को लेकर ही पुस्तक का संस्कार किया गया है। श्री लाल गण्डजो ने पुस्तक के अन्त में जिस त्वरा और तत्परता का परिचय दिया है, वह अत्यन्त ही प्रशंसनीय है। पुस्तक का दूसरा भाग भी प्रेस में दे दिया गया है जो अगले ही प्रकाश में आवेगा।

# विषय--सूची

मूलभाव (अवम्भव)	१
मूल अभिप्राय (करके दिखाओ)	१४
प्रेरक अभिप्राय (प्रतिध्वनि शब्द)	१६
मूल अभिप्राय (उपश्रवण)	३०
मूल अभिप्राय (परकाया-प्रवेश अथवा पन्द्रहवीं विद्या)	३६
मूल अभिप्राय (नटो तो कहो मत)	४५

# मूल-भाव ( *Motifs* )

## १. असम्भव

राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध लोक-गाथा है:—

करता रँ सग कीजिये, सुण रँ राजा-भील ।

सोनै रँ घुण लागगो तो छोरै नै लेगी चील ॥

उक्त लोक-गाथा के पीछे निम्नलिखित कथा कही जाती है:—

एक बनिया था जो जीविकोपार्जन के लिए परदेश गया । जाते-जाते वह अपना कुछ सोना एक मित्र के यहाँ रख गया । परदेश से लौटने पर जब वह अपना सोना वापिस लेने के लिए अपने मित्र के यहाँ पहुँचा तो मित्र ने उत्तर दिया—“तुम्हारे सोने के तो घुन लग गया ।” सुन कर बनिया कहने लगा—“भाई, ठीक है, यह मेरे भाग्य का है; जब मेरे सोने के घुन ही लग गया तो तुम श्रवण कर भी क्या कर सकते हो ?” यह सुन कर मित्र बड़ा प्रसन्न हुआ और वह बनिये के प्रति आदर-सत्कार दिखलाने लगा और उसे भोजन के लिए निर्मंत्रित भी भेज दिया । बनिये ने जब भोजन के पहले स्नान करने की इच्छा प्रकट की तो उसके मित्र ने अपने छोटे लड़के को बनिये के साथ कर दिया । वह उसे पास के तालाब में स्नान करा लावे । बनिये ने जब स्नान समाप्त किया तो उसने अपने मित्र के लड़के को किसी स्थान पर छिपा दिया । लौटने पर मित्र ने अपने लड़के के सम्बन्ध में जब पूछताछ की तो चतुर बनिये ने उत्तर दिया—“क्या कहूँ, जब मैं तहाँ रहा था, तुम्हारे लड़के को मैंने तहाँ से ही छिपा लिया था ।”

गये न भी सब किस्सा कह सुनाया और उक्त गाथा कही जिसका अर्थ यह है कि हे भील राज ! शठ के प्रति शठता का ही व्यवहार करना चाहिए । यदि सोने के घुन लग गया तो बच्चे को भी चील उतारना पड़ेगा !!

उक्त लोक-गाथा का मूल आधार हमें जातक और पंचतन्त्र से मिल सकता है । 'कूटवाणिज' जातक में बतलाया गया है कि एक ग्रामवासी तथा एक नगर-वासी दो बनियों की आपस में मित्रता थी । ग्रामवासी ने नगर-वासी के पास पाँच सौ फाल रक्खे । उसने उन फालों की कीमत ले, जिस जगह पर फाल रक्खे थे, वहाँ चूहे की मिंगनें फैला दीं । समय बीतने पर ग्रामवासी ने आकर कहा—मेरे फाल दे । कुटिल नगरवासी ने चूहे की मिंगनें दिखा कर कहा कि तेरे फालों को चूहे खा गए

दूसरे ने 'अच्छा खाये गये सो खाये गये, चूहों के खा लेने पर क्या किया जा सकता है ?' यह कह कर नहाने के लिए जाते समय उसके पुत्र को साथ ले जा, एक मित्र के घर में बिठला कर कहा—इसे कहीं ले जाओ । फिर स्वयं नहा कर कुटिल बनिये के घर गया । उसने पूछा—'तुम्हारा पुत्र कहाँ है ?' "मैं तेरे पुत्र को किनारे बैठा कर पानी में डुबा रहा था । एक चिड़िया आई और तेरे पुत्र को पंजो में ले आकर उड़ गई । मैंने हाथ पीटे, चिल्लाया, कोशिश की, लेकिन तब भी उसे छुड़ा सका ।" "तू भूठ बोलता है । चिड़िया बच्चो को लेकर नहीं जाती ।" "मित्र, असम्भव होने पर भी, मैं क्या करूँ ? तेरे पुत्र को चिड़िया ही ले गई है ।"

उसने डराते हुए कहा—अरे मनुष्यघातक, दुष्ट, चोर ! अज्ञानता में जाकर निकलवाता हूँ । यह कह कर वह चला । 'जो तु

अब मेरा पुत्र कहाँ है ? पूछने पर कहता है कि उसे चिड़िया ले  
गी । इस मुकद्दमे का फैसला करें ।

बोधिसत्त्व ने दूसरे से पूछा—“क्या यह सच है ?” “स्वामी ! मैं  
लेकर गया । चिड़िया के उसे ले जाने की बात सच ही है ।”

“क्या इस दुनिया में चिड़ियाँ बच्चों को ले जाती हैं ?”

“स्वामी ! मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि चिड़ियाँ तो बच्चों  
लेकर आकाश में नहीं उड़ सकतीं, तो क्या चूहे लोहे के फाल खा  
कते हैं ?”

“इसका क्या मतलब है ?”

“स्वामी ! मैंने इसके घर में पाँच सौ फाल रक्खे । यह कहता है  
कि तेरे फालों को चूहे खा गये और ‘यह तेरे फालों को खाने वाले चूहों  
को भेगनी हैं’ कहकर भेगनी दिखाता है । स्वामी ! यदि चूहे फालों  
खाते हैं, तो चिड़ियाँ भी बच्चे ले जाती हैं । यदि नहीं खाते हैं तो  
चिड़ियाँ तो क्या, बाज भी बच्चे नहीं ले जा सकते । यह कहता है कि  
तेरे फालों को चूहे खा गए । उन्होंने खाए वा नहीं खाए, इसकी  
रीक्षा करें । मेरे मुकद्दमे का फैसला करे ।”

बोधिसत्त्व ने सोचा—इसने शठ के प्रति शठता का व्यवहार करके  
जीतने की बात सोची होगी । उससे कहा—तुमने ठीक सोचा है । और  
ह गाथा कही—

सठस्स साठेय्यमिदं सुचिन्तितं,  
पञ्चोडितं पति कूटस्म कूट ।  
फालञ्चे अदेय्यु मूसिका,  
कस्मा कुमारं कुलला नो हरेय्यु ॥  
कूटस्स हि सन्ति कूटकूटा,  
भवति चापि निकतिनो निकत्या ।



अर्थात् शठ के प्रति शठता यह अच्छा सोचा है। कुटिल के प्रति कुटिलता का जाल फलाया है। यदि चूहे फाल खा जाएंगे तो चिड़िया के को क्यों नहीं ले जाएंगी? कुटिल के प्रति कुटिलता का व्यवहार करने वाले मिल जाते हैं। ठग को भी ठगने वाले होते हैं। हे पुत्र-नष्ट, उसकी फाल खोई गई है, उसकी फाल दे। तेरे पुत्र को, जिसकी फाल खोई है, वह न ले जाए।

“स्वामी ! मैं इसकी फाल देता हूँ, यदि यह मेरा पुत्र दे।”

“स्वामी ! मैं देता हूँ, यदि यह मेरे फाल दे।”

इस प्रकार जिसका पुत्र खोया गया था, उसने पुत्र पाया। जिसकी फाल खोई गई थी, उसने फाल पाई। दोनों कर्मानुसार गये।

पंचतन्त्र में इसी कथा का निम्नलिखित रूप प्राप्त होता है—

“एक बनिये का लड़का जीविकोपार्जन के लिए देशान्तर गया। उसके घर में पूर्वजों द्वारा उपार्जित लोहे के सहस्र पलों<sup>२</sup> से निर्मित तराजू था। वह इस तराजू को दूसरे बनिये को सौंप परदेश के लिए ले जाना हुआ। वहाँ से लौटकर जब उसने तराजू वापिस मांगी तो बनिये ने उत्तर दिया—‘तुम्हारी तराजू तो अब नहीं रही, उसे चूहे खा चुके हैं।’ यह सुनकर तराजू के स्वामी उस बनिये ने कहा—‘मित्र, इसका हारा दोष नहीं, यह संसार है ही ऐसा; यहाँ कोई वस्तु शाश्वत नहीं रहती। तब मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊँगा, इसलिए अपने बच्चे को नदी के उपकरण देकर मेरे साथ भेज दे। बनिये का पुत्र उसके साथ ही चला गया। जब अतिथि ने स्नान कर लिया तो उसने बनिये

के को नदी के समीप की एक गुफा में छिपा दिया और गुफा के अ  
 बड़ी शिला लगा दी । अथिति जब स्नान कर बनिये के घर पहुँ  
 बनिये ने कहा—“हे अभ्यागत, मेरे शिशु को कहीं छोड़ आये ।  
 अथि ने कहा—‘तुम्हारे शिशु को तो श्येन (शिकरा या बाज) हर  
 के ले गया ।’ बनिये ने कहा—‘मिथ्यावादिन् । कभी बाज भी शि  
 हरण कर सकता है ? इसलिए या तो मेरा पुत्र लौटा दे, नहीं ।  
 मुकद्दमा चलाऊँगा ।’ दोनों परस्पर विवाद करते हुए न्यायालय  
 गे । धर्माधिकारियों ने उस अतिथि से कहा कि बनिये के लड़के  
 नस कर दो । उसने उत्तर दिया—‘मैं क्या करूँ ? मेरे देखते-देख  
 के किनारे पर से बाज बच्चे का अपहरण करके ले गया ।’ उन्हो  
 सुनकर कहा—‘कभी बाज भी बच्चा ले जा सकता है ?’ तब उस  
 र दिया—

“तुलां लोहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूपिका ।

राजस्तत्र हरेच्छ्येनो बालक नात्र संशयः ॥”<sup>१</sup>

अर्थात् एक हजार लोहे के पलों से निर्मित तराजू को जहाँ चूहे  
 है, वहाँ यदि बाज शिशु का हरण करके ले जाय तो इसमें सन्दे  
 क्या है ?

धर्माधिकारियों ने जब इसका रहस्य पूछा तो तराजू के स्वा  
 ये ने सब कथा कह सुनाई । इस पर धर्माधिकारियों की बड़ी हँ  
 । उन्होने तराजू के स्वामी को तराजू दिलाई और शिशु के पि  
 उसका शिशु लौटा कर दोनों बनियो को सन्तुष्ट किया ।

असम्भव मूल भाव (*Impossible motif*) से सम्बन्ध रख  
 नि लोह-कण्ठों केवल राजस्थान में ही नहीं भारत के बाकी

चलित हैं तुलनात्मक अध्ययन के लिए आसाम की एक लोक-कथा उद्धृत की जा रही है :—

“एक राजा का लड़का दुनिया देखने के इरादे से घोड़े पर सवार होकर घर से बाहर निकला। चलते-चलते वह एक जंगल में पहुँच गया। उसके रास्ते में एक गीदड़ बैठा हुआ था। उसने गीदड़ से कहा—‘तुम्हारा घोड़ा छोड़ दे, नहीं तो मेरा घोड़ा तुम्हारी सब हड्डी-पसली तोड़ देगा।’ गीदड़ ने कहा—‘मैं तो यहाँ से नहीं हट सकता, तुम्हारे घोड़े को एक तरफ़ करके आगे बढ़ जाओ।’ राजा के लड़के ने कहा—‘खैर, अभी तो अँधेरा हो रहा है, मैं ही घोड़े को एक तरफ़ लेता हूँ किन्तु लौटते समय तुम्हें मजा चखाऊँगा।’ गीदड़ ने कहा—‘देखना है, कौन किसको मजा चखाता है?’

राजकुमार आगे बढ़ा और चलते-चलते एक तेली के घर पहुँच आया। घर के बाहर एक घानी थी। उसने अपना घोड़ा उसी घानी में बाँध दिया। अन्दर जाकर तेली से कहा—‘मैं रात भर यहीं ठहर जाता हूँ।’ घोड़े के बावत उसने तेली से एक शब्द भी नहीं कहा।

दूसरे दिन प्रातःकाल जब तेली उठा तो उसने कहा—‘ओ हो घोड़े की घानी ने एक घोड़े को जन्म दिया है,’ और ऐसा कहकर वह अन्ध-विभोर हो नृत्य करने लगा। यह देख कर राजकुमार के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने तेली से कहा—‘रहने दो, घोड़ा तो मेरे घोड़े की घानी ने ही पिछली रात इसे घानी के बाँध दिया था। घानी भी घोड़े को जन्म दे सकती है?’ किन्तु तेली ने एक न सुनी; वह घोड़े को पस करने के लिए राजी न हुआ। इस पर राजकुमार ने कचहरी

कहा गया तो उसने उत्तर दिया—गवाह तो मेरे पास कोई नहीं  
 मैं घोड़ा बाधा, उस समय मेरे पास कोई नहीं था। इस प  
 नाधीश ने कहा कि तब तो तुम्हारा मामला ही भूठा है, न तो घो  
 ढारा है और न तुमने इसे बाँधा ही है। तब राजकुमार सोच-विचा  
 ड़ गया। उसने तनिक स्मरण करके कहा—‘भगवन् ! जब मैं घो  
 सवार होकर आ रहा था, एक गीदड़ ने अवश्य मुझे देखा था  
 ा हो तो उसे ही ले आऊँ।’ उसे गीदड़ को गवाह के रूप में पे  
 ने की आज्ञा दे दी गई। राजकुमार गीदड़ के पास पहुंचा और  
 से अपने अशिष्ट व्यवहार के लिए क्षमा-याचना की और सब घट  
 सुनाई। गीदड़ ने कहा—‘आज तो मैं नहीं चल सकता किन्तु क  
 समय गवाही देने न्यायालय में उपस्थित हो जाऊँगा।’

दूसरे दिन गीदड़ ने एक दल-दल में लौट लगाई, फिर एक राख  
 के पास गया और उसमें कई बार लौट लगाई। परिणाम यह हुआ  
 उसका सारा शरीर राख से लिप्त हो गया। न्यायालय में जब वह  
 पहुंचा तो न्यायाधीश ने उससे देर का कारण पूछा। गीदड़ ने उत्  
 ा—‘भगवन् ! मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बड़ी विपत्ति में प  
 ा। आप सच मानिये, आज तो समुद्र में आग लग गई। मैं  
 ाने की बड़ी कोशिश की किन्तु सब बेकार ! देख नहीं रहे हैं अ  
 शरीर की हालत !’

न्यायाधीश ने हँस कर कहा—‘लोग भी कभी-कभी कैसी असम  
 तें करने लगते हैं—कभी समुद्र में भी आग लगी है ?’

गीदड़ ने बड़ी शान्ति और नम्रता से उत्तर दिया—‘यदि सम

म्यायाधीश को अपनी मूल मालूम हुई उसने घोड़ा राजकुमार को  
पिस दिलवा दिया ।<sup>१</sup>

आसाम की लोक-कथा की भाँति यही लोक-कथा किञ्चित् रूपान्त  
साथ बिहार में भी प्रचलित है । बिहारी लोक-कथा का गीदड़ ज  
से पहुँचता है तो वह इस प्रकार सफ़ाई देता है :—

“रास्ते में मैंने एक बड़ा तालाब देखा जिसमें बहुत सी मछलियाँ  
। मैंने इस उद्देश्य से तालाब में आग लगा दी कि मछलियाँ भू  
जायें । फिर जब मछलियाँ तैयार हो गईं तो मैं उन्हें खाने के लि  
र गया और इस प्रकार यहाँ पहुँचने में मुझे विलम्ब हो गया । लोग  
कहा कि पानी में आग का लगना और इस प्रकार मछलियों का भू  
ना कैसे सम्भव हो सकता है ? शृगाल ने उत्तर दिया कि यह उ  
रह सम्भव है जिस तरह घानी से घोड़े की उत्पत्ति !”

‘असम्भव’ नामक मूल भाव (*Motif*) से सबन्धित जो लोक-कथा  
पर दी गई हैं, उनके अध्ययन से स्पष्ट है कि यह मूल भाव लोक-  
थाकार के हाथ में एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा राम-बाण है ।  
भावकता की दृष्टि से अचूक कहा जायगा । इस मूल भाव को लेव  
था जिस प्रकार आगे बढ़ती है, उसमें एक प्रकार का नाटकीय व्यं  
*Dramatic irony*) भी छिपा रहता है । असम्भव को संभव म  
र चलने वाले ही असम्भव की संभवता पर भुंक्लाते हैं अथवा उस  
वहनी उड़ाते हैं ! इससे बड़ा नाटकीय व्यंग्य और क्या होगा ? जब क  
कोई पात्र इस ओर उसी असम्भव-पद्धति द्वारा उनका ध्यान आकृ  
रता है तब उनकी आँखें खुलती हैं, वही कथा का सर्वाधिक औत्सुक्य  
रहता है :—

है। मनोविश्लेषण-शास्त्री जिस प्रकार अतीत का स्मरण विलास का उपचार करते हैं, उसी प्रकार इस असम्भव मूल-भाव द्वारा भी असम्भव-भावना के शिकार उस पात्र का इलाज हो जाता है।

अलंकार-शास्त्र में इस पद्धति से मिलता-जुलता एक अलंकार होता है जिसे 'मिथ्याध्यवसिति' कहा गया है। इसमें एक असम्भव या मिथ्या निश्चित करके तब कोई दूसरी बात कही जाती है, और इस प्रकार दूसरी बात भी मिथ्या ही होती है। 'जो आज्ञे नभ-कुसुम-रस, लज्जि के कान' उदाहरण-स्वरूप रखा जा सकता है।

राजस्थानी लोकोक्तियों में भी ऐसे कुछ कहावती वाक्य मिलते हैं जो असम्भव अर्थ को प्रकट करते हैं। एक ऐसा ही कहावती वाक्य है—

“आगाई गया जाणो ऊंट का माथा सूं सींगडा गया” अर्थात् आगाई चले गये जैसे ऊंट के माथे से सींग चले गये।

‘ससै सींग की धनुषड़ी रमै बांभ को पूत’ भी एक ऐसी ही कहावती है जिसका आशय यह है कि यदि खरगोश के सींग का धनुष बनाया जाय तो तभी बन्ध्या का पुत्र उससे खेल सकता है। यह कहावत 'मिथ्याध्यवसिति' अलंकार के निदर्शनार्थ रखी जा सकती है।<sup>१</sup>

जैसे समझता हूँ, असम्भव मूल-भाव अथवा अभिप्राय को द्योतित करने वाले कहावती वाक्यों के पीछे भी ऊपर उद्धृत लोक-कथाओं की कहानियाँ प्रचलित रही होंगी।

‘असम्भव’ मूल-भाव (*Motif*) का एक दूसरा रूप भी देखा जा सकता है जिसमें लोक-वार्ता के दो पात्र बारी-बारी से अनहोनी बातों

नी सुनाते हैं और परस्पर यह शर्त बंदी जाती है कि यदि कहान  
 धोता यह कह दे कि 'यह भी कोई होने की बात है ?' तो कथावाच  
 ता सर्वस्व स्वायत्त कर ले । इस प्रकार की कहानियों में जो पा  
 में हारता है, वह इधर कुआँ, उधर खाई' की विषम स्थिति में प  
 ा है । वह यदि यह कह दे कि 'यह भी कोई होने की बात है  
 तो उसे अपनी सारी सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता है, अन्यथा  
 त्मक घटनाओं की परिणति के अनुसार क्षति उठानी पड़ती है  
 मूल भाव के स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित लोक-कथा प  
 ार कीजिये :—

“किसी गाँव में एक प्रसिद्ध ठग रहता था । गाँव छोड़ कर वह ए  
 ल में चला गया जिसका विस्तार सैकड़ों मील में था । जंगल में  
 मार्ग जाता था जहाँ एक शिव-मन्दिर व कुआँ बना हुआ था । ठ  
 उसी स्थान को ठगी के उपयुक्त समझा । वह वहाँ साधु के वेश  
 ने लगा । जब कोई यात्री उस मार्ग से निकलता तो उसे वह तमा  
 के लिये बिठा लेता और उससे मीठी-मीठी बातें करता रहता  
 संध्या हो जाती तो वह यात्री से कहता—'यहाँ के नियमानुस  
 त्र में कोई नहीं ठहर सकता ।' लाचार होकर पथिक को जा  
 ता । ठग के पाँच लड़के थे जो डाकूओं का वेश बनाकर उस पथि  
 अंधेरे में लूट लेते । इस प्रकार उस ठग ने बहुत से मनुष्यों को ठग

जंगल के किनारे एक सरदार का गाँव था । एक दिन एक ठगा  
 पथिक सरदार के पास गया और उसे ठग का सारा वृत्तान्त व

कि बुद्धिमान और कौन होगा ? आप ही उस शिव-मन्दिर पर जायें  
ठगा गये तो दुगना जेवर ले लूंगा और यदि बिन ठगाये लौटे  
जेवर आपका होगा ।”

पुरोहित ने सरदार की शर्त मान ली और वह एक ऊँट पर सवार  
र शिव-मन्दिर को रवाना आ । मन्दिर के पास पहुँचा तो साधु  
धारी ठग ने आवाज दी । पुरोहित ने ऊँट को अलग बिठा दिया  
स्वयं ठग के पास जा बैठा । जेवर देखकर ठग ने सोचा—‘आ  
आ शिकार फँसा है ।’ बड़े प्रेम से वह पुरोहित के साथ बातें कर  
। सन्ध्या होते ही उसने पुरोहित को अपना नियम सुनाया  
हित ने उत्तर दिया—‘मुझे रात में दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए  
रात भर यहीं ठहरूँगा ।’ ठग ने कहा—“एक शर्त पर तुम य  
र सकते हो । मैं जो बात कहूँ, उसे तुम सुनो और यदि तुम य  
दो कि ‘यह भी कोई होने की बात है !’ तो मैं तुम्हारा सब कु  
लूँ ।” पुरोहित ने कहा—“तुम्हारी शर्त तो मुझे स्वीकार है  
। भी यह शर्त होगी कि मैं भी एक बात कहूँ और यदि सुनकर तुम  
। कि ‘यह भी कोई होने की बात है !’ तो मैं तुम्हारे पास मन्दिर  
कुछ है, सब ले जाऊँ ।” ठग ने शर्त मंजूर कर ली ।

ठग ने बात कहना शुरू किया—“एक बार मैंने ५०० रुपये में ए  
या ऊँट खरीदा और उस पर सवार होकर ससुराल गया । जब  
। पहुँचा, मेरे ससुर, साले और ससुराल की स्त्रियाँ सब खेत काटने  
थे । कटे गेहूँ का ढेर खेत के बीच में लगा हुआ था । मैं पहुँ  
उन लोगों ने काम बन्द कर दिया, मेरे पास आ बैठे और बातें क



निदान जेलिये से सारे 'लाण' को बिखेरा गया, पर ऊँट न मिला। लाण को गाहा गया पर फिर भी ऊँट का पतर न चला। सारा अनाज बरसाया गया, पर फिर भी ऊँट नदारद। समुराल वालों को भी ऊँट के न मिलने की चिन्ता हुई। उन्होंने सोचा—'सारे अनाज को पिस-बाया जाय, चक्की के गले में तो अबश्य ही आ जायगा। अनाज न सही, हम आटा ही बेच देंगे। यह सोचकर अनाज पिसवा डाला पर फिर भी ऊँट न मिला। मैं भी निराश हो गया। अगले दिन मैं घर जाने के लिए तैयार हुआ। मेरे लिये नये अनाज की रोटियाँ बनाई गईं। मैं चौंके में बैठा भोजन कर रहा था। जब मैंने एक फूली हुई रोटि की पपड़ी हटाई तो मैं क्या देखता हूँ कि पपड़ी के नीचे जीन सहित ऊँट बैठा जुगाली कर रहा है।

ठग ने कहानी पूरी की और पुरोहितजी की राय जाननी चाही। पुरोहित ने कहा—'किस्सा तो यह पहले भी सुना था, आप ही का था क्या?' और चुप रहा।

ठग ने कहा—'बस मेरा किस्सा पूरा ही चेका; अब आप कहिये।

पुरोहित ने कहना शुरू किया—

'मैं माँवडा के राजा के पास रहता था। मेरे कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कहा—'पुरोहितजी, जो चाहो, माँग लो।' मैंने खूब सोच-विचार कर गाँव के बाहर की वह १० बीघा भूमि माँग ली जहाँ गायें बैठा इरती थीं। राजा ने कहा—'क्या माँगा आपने? कोई गाँव माँगते। फिर, जैसी आपकी इच्छा। वह भूमि आपके नाम हुई।'

मैं जमीन के पास गया और बोला—'चल, जमीन माता! मेरे गाँव ल।' जमीन ने कहा—'तू नौकरी करने वाला आदमी है, मेरी कदर नहीं करेगा। मुझे जीते-बोले तो चल।' —

नौकरी पर चला गया। वर्षा होने पर लौटा तो देखता क्या हूँ कि जमीन वहाँ पर नहीं है। मैं समझ गया कि जमीन रुष्ट हो गई। दौड़ा हुआ माँवडा पहुँचा। बहुत मान-मनावन करके उसे वापस लाया।

सैकड़ों गाड़ी खाद जमीन में डलवाया गया और जुताई करके जुवार बोई गई। खेत में जुवार बया लगी, बट-वृक्ष के-से पेड़ लग गये। जिसने फसल को देखा, दाँतों तले अंगुलि दबाई। भुट्टे निकले तो मन-मन भर के ! फसल पक कर तैयार हुई तो दस-बीस गाँवों के मजदूर बुलवाकर कटवाई गई। भुट्टे तोड़कर डंठल गायों के त्तिमे डाल दिये गये। भुट्टों को इकट्ठा किया तो कई बीघों में पहाड़ के समान ढेर लग गया। लोगों ने अनुमान लगाया कि एक लाख मन जुवार होगी। मैं चौकीदारी के लिए ढेर के ऊपर खाट डालकर सोने लगा। आज प्रातःकाल आँख खुली तो देखता क्या हूँ कि जुवार का ढेर गायब ! चोरों के खोज निकाले। इस मंदिर से आगे खोज नहीं जाते हैं। निश्चय ही सारा माल इस मंदिर के अन्दर आया है। लाइये महात्माजी ! एक लाख मन जुवार दीजिये।”

ठग यदि कहे कि यह भी कोई होने की बात है, तब तो उसे पुरोहित को मंदिर का सारा धन देना पड़े और यदि बात की हाँ भरे तो एक लाख मन जुआर देना पड़े। इसलिए वह चुप हो रहा। इस पर पुरोहित ने कहा—“चुप क्यों बँठे हो ? लाख मन जुवार दो।”

ठग ने कहा—“मैं हारा, तुम जीते। जुवार इतनी मैं नहीं दे सकता; मंदिर में जो कुछ है, ले जाओ।”

पुरोहित अपनी बुद्धिमानी से ठग का सारा धन ले आया। राजा भी प्रसन्न होकर जमे बहुत-सा पुरस्कार दिया।

## २. मूल-अभिप्राय (करके दिखाओ)

( 'Show me how' Motif )

राजस्थान में 'गोदड़ें रं मूँडें कुसल' एक कहावती वाक्य के रूप में प्रचलित है जिसके पीछे निम्नलिखित कथा कही जाती है:—

“एक सिंह पिंजड़े में बन्द था। कोई ब्राह्मण उधर से जा रहा था। सिंह की कर्ण पुकार सुन कर जब ब्राह्मण ने उसे पिंजड़े से मुक्त कर दिया तो सिंह ने उसे ही खा जाना चाहा। इस पर एक गोदड़ को न्याय के लिए मुकर्रर किया गया। गोदड़ ने अथ से इति तक पूरे कहानी सुनी। सुन कर उसने कहा—‘और तो सब ठीक, किन्तु यह बात मेरी समझ के बाहर है कि सिंह पिंजड़ों में रहा हो; यह असम्भव है। मुझे करके दिखाओ तो पता चले।’ सिंह ने कहा—‘इसमें असम्भव क्या है? मैं अभी करके दिखलाता हूँ।’ सिंह पिंजड़े के अन्दर गया और जाते ही पिंजड़ा बन्द कर दिया गया। ब्राह्मण ने कहा—‘मेरा न्याय?’ गोदड़ ने उत्तर दिया—‘न्याय हो गया न; तुम्हें और क्या चाहिए? जो उपकार के बदले अपकार करता है, उसकी यही सजा है।’

*Southern Textus Simplicior of Panchatantra* में उक्त लोक-कथा का निम्नलिखित रूप उपलब्ध होता है:—

“एक ब्राह्मण तीर्थ-यात्रा के लिए काशी जाता है। मार्ग में उसकी एक चीते से भेंट हो जाती है जिसे एक सिपाही ने, जो पानी की तलाश में भटक रहा था, पकड़ कर एक सन्दूक में डाल दिया था। चीता ब्राह्मण से अनुनय-विनय करता है कि तुम मुझे मुक्त कर दो। मुक्त होते ही चीता ब्राह्मण को

कृतघ्न प्राणी है। मुझे दस बखड़े हुए किन्तु अब मेरी वृद्धावस्था में मेरा मालिक मुझे पीटता है और भूखों मारता है। फिर एक शूद्रा स्त्री से भेंट होती है। वह भी मनुष्य की कृतघ्नता का ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती है। अंत में वे एक गौबड़ के पास पहुँचते हैं जो पहले तो न्याय करने के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट करता है किन्तु अंत में वह इस शर्त पर न्याय करने के लिए राजी हो जाता है कि चीता और ब्राह्मण प्रारम्भ में जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में वापिस आ जायें। दोनों ने यह शर्त स्वीकार कर ली। सन्कुक में प्रवेश करते ही ब्राह्मण ने सन्कुक को बन्द कर दिया।”

*Dubois, Le Pantcha-Tantra* पृ. ४६ पर यही कथा निम्नलिखित रूप में एक ब्राह्मण और मगर को लेकर कही गई है:—

एक मगर एक ब्राह्मण से प्रार्थना करता है कि तुम मुझे गङ्गाजी ले चलो ताकि मैं उसके पवित्र जल में निवास कर सकूँ। ब्राह्मण उसे अपने बोरे में डाल लेता है। ब्राह्मण जब मगर को गङ्गा-जल में रखने लगता है, मगर ब्राह्मण की टाँग पकड़ लेता है। ब्राह्मण कृतघ्नता के लिए मगर की भर्त्सना करता है जिस पर मगर उत्तर देता है—‘मैं क्या करूँ, जमाना ही ऐसा आ गया। आज तो रक्षक का भक्षक बन जाना ही कृतघ्नता का सच्चा रूप रह गया है।’ वे दोनों न्याय के लिए एक ग्राम के पेड़ तथा एक वृद्धा गाय के पास पहुँचते हैं। दोनों ही ‘मात्स्य-न्याय’ का समर्थन करते हैं। तब वे एक लोमड़ी के पास पहुँचते हैं। लोमड़ी पहले तो ब्राह्मण के विपक्ष में अपना निर्णय देती है किन्तु वह यह मानना चाहती है कि मगर और ब्राह्मण दोनों ने साथ-साथ यात्रा कैसे की होगी? इस पर मगर फिर बोरे में घुस जाता है, मार डाला जाता और लोमड़ी उसे ‘गलगाय’ कर जाती है।”

*Verrier Elwin* ने अपनी *Folk-Tales of Mahakoshal* नामक पुस्तक में उक्त लोक-कथा का भिन्न रूप प्रस्तुत किया है जिसमें 'दसवीं जात महा निर्गुणी' के आधार पर अंत में चीता ब्राह्मण को मारता है। एलविन का अनुमान है कि संभवतः इस प्रकार की परिणामकारण आदिवासियों की हिन्दुओं के प्रति उनकी विरोधात्मक प्रवृत्ति हो।<sup>१</sup>

किन्तु जहाँ तक इस मूल अभिप्राय से संबद्ध राजस्थानी कथा पढ़ने-सुनने में आई हैं, उनमें पशु की क्रूरता और उसकी कृतघ्नता ही प्रदर्शन हुआ है, मनुष्य-जाति की निर्गुणता का नहीं।

राजस्थानी लोक-कथाओं में 'करके दिखाओ' मूल अभिप्राय का एक रूप भी प्रकट हुआ है, जिसमें कभी-कभी किसी चौर अथवा अप्रकृति के पात्र के विशय में उसके मतिप्रकर्ष के कारण श्रोताओं की अनुभूति जागृत हो उठती है। ब्लूमफील्ड के शब्दों में—

*"One of the features of the 'Show me how' type is that the quick wit (matiprakashya) of a successful rogue sometimes wins the sympathy of the hearer, no matter how reprehensible his act or his character."*

'करके दिखाओ' मूल अभिप्राय के इस रूप के स्पष्टीकरण के लिए 'खाफरा' शीर्षक लोक-कथा का निम्नलिखित अंश उल्लेखनीय है:—

"सारा शहर खाफरा चोर से तंग आ गया। राजा के आदमियों को पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं पकड़ा जा सका। ज

शहर दुखी हो गया तो राजा ने कोतवाल को खुद गश्त लगा व

या का रूप धर कर उधर गया । कोतवाल ने पूछा—'बुढ़िया ! इतने  
 गये, तुम कहां गई थी ?' बुढ़िया ने कहा—'मैं तो फलां सेठ के या  
 गीत गाकर मिठाई लेकर आ रही हूँ ।' कोतवाल बहुत देर से भूख  
 था । उसका मन मिठाई खाने के लिये ललचाया । बुढ़िया ने उ  
 गई बी और पूछा—'यह काठ का इतना बड़ा टुकड़ा क्यों डाल र  
 ' कोतवाल ने कहा कि यह तो खाफरे चोर को पकड़ने के लिए है  
 या ने कोतवाल से प्रार्थना की—'इसमें चौर कैसे पकड़ा जाता है  
 भी तो बतावें ।' कोतवाल ने बड़ी शान के साथ अपना पाँव काठ  
 दिया और बुढ़िया को चोर पकड़ने की विधि समझाई । कोतवा  
 पैर जब काठ से जकड़ गया तो बुढ़िया का बेश बनाये हुए खाफ  
 उसे उसी हालत में छोड़ कर भाग गया । कोतवाल ने भारे श  
 षुह पर कपड़ा डाल लिया । सुबह जब लोग काठ के पास आये त  
 पर लोगों ने उसे चोर समझ कर खूब पीटा । पर जब कपड़ा ह  
 देखा गया तो उसे कोतवाल के रूप में पाकर लोगों के आश्चर्य ब  
 गना न रहा । राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वह बड़ा नारा  
 ।।”

उक्त कथा में चौर की प्रत्युत्पन्नमति के कारण श्रोताओं की सहा  
 । कोतवाल के प्रति जागृत न होकर 'खाफरे' को ओर जागृत हो  
 ती है ।

इस प्रकार के उदाहरण अन्य प्रदेशों की लोक-काथाओं में  
 ते है ।

'करके दिखाओ' मल अभिप्राय के असंख्य उदाहरण पौरस्त्य श्रौ

‘मनोवैज्ञानिक प्रेरक भाव’ (*Psychic Motif*) के नाम से अभिहित किया है।<sup>१</sup>

अंत में यहाँ यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि ‘गादड़ै रै मूँडै कुशल’ शीर्षक जो कहावती वाक्य ऊपर उद्धृत किया गया है, उससे स्पष्ट है कि पंचतंत्र की गूँज राजस्थान की लोक-कथाओं में आज भी सुनाई पड़ती है; और मैं तो कहूँगा, पंचतंत्र की कथाओं की गूँज तो न केवल राजस्थानी अथवा भारतीय लोक-कथाओं में ही सुनाई पड़ेगी, ‘पंचतंत्र’ की सार्वदेशिक यात्रा के कारण उसकी कथाओं की प्रतिध्वनि विश्व की अनेक लोक-कथाओं में भी सुनने को मिलेगी।




---

<sup>१</sup> *The motif belongs to the Class which I have rubricated as psychic motifs ; in this Class the*

### ३. प्रेरक अभिप्राय ( प्रतिध्वनि-शब्द )

#### *An Echo-word motif*

*Emeneau* नामक व्यक्ति ने पहले-पहल लोक-कथाओं में प्रेरक अभिप्राय के रूप में 'प्रतिध्वनि-शब्द' की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था। इस अभिप्राय (*Motif*) का तात्पर्य यह है कि लोक-कथा कोई पात्र प्रतिध्वनि-शब्द का प्रयोग करता है जिसे कोई सिंह अथवा बकरा सुन लेता है और सुन कर समझने लगता है कि प्रतिध्वनि-शब्द द्वारा द्योतित प्राणी स्वयं उसकी अपेक्षा भी भयंकर होगा। इस अभिप्राय के स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित राजस्थानी कथा यहाँ उद्धृत की गयी है :—

“किसी गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक अच्छा बकरा था। गाँव के मीरों की बुढ़िया के बकरे पर कई दिनों से झगड़ थी। वे इस तक में थे कि किस प्रकार बकरे को चुरा कर खाया जाय। गाँव के पास ही जंगल में एक सिंह रहता था। बकरे को देखकर उसके मुँह से भी पानी भर आया।”

वर्षा के दिन थे। आकाश घने बादलों से आच्छादित था। सन्ध्य के समय ही इतना अन्धकार हो गया कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। बुढ़िया के दूटे हुए छपर से पार होती हुई वर्षा के जल की बूँदें-कोई बूँद रह-रह कर उसके जर्जर शरीर पर टपक पड़ती थी। बकरा राह कर बुढ़िया ने कहा—‘हे भगवान, मुझे सिंह तथा मीरों का भय है। मैं नहीं जानता कि बकरे का जगना है।’



[ २० ]

इसी समय दो मीलों ने भी धने अन्धकार का सुअवसर देखकर बकरे को चुराने का निश्चय किया और बाड़े में आ घुसे । अंधेरे में वे बकरे को इधर-उधर टटोलने लगे । संयोग से एक मीलों का हाथ सिंह की गरदन पर पड़ा । उसके बड़े-बड़े बाल और भारी गरदन को देखते ही चोर ने सोचा—बस, यही बकरा है, और दूसरे चोर को संकेत किया । उधर सिंह को लगा, हो न हो, टपूकड़े ने ही गरदन धर पकड़ी । आज जिन्दा बचना मुश्किल !

चोरों ने उसे खींच कर बाड़े से बाहर किया और यह सोचकर कि बकरा हूँ-पुँहूँ है, उस पर सवार हो लिये । उनके सवार होते ही सिंह ने जंगल की ओर छलांगें भरना शुरू किया । उसने सोचा—आज तो टपूकड़े के चक्कर में बुरा फंसा । कैसे पिण्ड छूटे ?

चोरों ने देखा कि बकरा बहुत तेज दौड़ रहा है तो उससे चिपटे लिये और मजबूती से उसकी गरदन के बाल पकड़ लिये । इतने में कड़-कड़ाहट के साथ बिजली चमकी । बिजली के प्रकाश में चोरों ने देखा कि वे बकरे पर नहीं, सिंह पर सवार हैं ! काटो तो खून नहीं, पर कोई उपाय न था । पीठ पर चिपटे रहे ।

दौड़ते-दौड़ते सिंह एक बट-वृक्ष के नीचे से गुजरा, जिसकी लम्बी-लम्बी जटायें भूमि तक लटक रही थीं । चोरों को युक्ति सूझी और वे एक जटा को पकड़ पर पेड़ पर चढ़ गये । सिंह ने देखा—टपूकड़े से पिण्ड छूटा; जान बची लाखों पाये । वह बेतहाशा जंगल की ओर भगा ।

इस प्रकार अज्ञानी बुरा में मित्र को भगता देखकर एक तराव ने

जरख ने कहा—‘आखिर आपसे भी अधिक शक्तिशाली यह टपूकड़ा है ? ऐसा प्रतीत होता है कि आपको भ्रम हो गया । मुझे भी बताइये, कहाँ पर है वह ?’

सिंह ने कहा—‘जानने भी बे; वह जो वट-वृक्ष है, उसी पर वह रुका है । मैं तो अब वहाँ नहीं जाने का !’

जरख ने कहा—‘आप दूर ही बैठ जाइयेगा । मैं वृक्ष के नीचे जाकर आऊँगा । ऐसी घबराने की क्या बात है ?’

इस प्रकार सलाह करके दोनों चले । सिंह, वृक्ष से बहुत दूर बैठा और जरख वृक्ष के नीचे आकर इधर-उधर जमीन को सूँघता हुआ चला । चोरों ने जरख को देख लिया । चारों ओर घूम-फिर कर वे पेड़ के नीचे एक जगह बैठ गया । दोनों चोर सलाह करके ठीक-ठीक कमर पर एक साथ कूद पड़े । जरख की कमर टूट गई और वह तरह-तरह चीखता हुआ भागा । यह सोच कर कि टपूकड़े ने जरख को पकड़ा, सिंह भी दौड़ खड़ा हुआ ।

ये दोनों दौड़े चले जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक बन्दर मिला । बन्दर ने सिंह को दौड़ते और जरख को कमर घसीटते हुए जाते देखा । तो पूछा—‘क्या बात है, आप इस प्रकार क्यों भगे जा रहे हैं ?’

सिंह ने कहा—‘क्या पूछता है, आज टपूकड़े ने हम दोनों की बगल में रुका है ।’ जरख ने पुकार कर कहा—‘भूठ, कतई भूठ । इन्होंने बहका कर मरवा डाला । वहाँ टपूकड़ा कहाँ था ? वहाँ तो ‘दबक’ मुझे जाते ही दबक लिया ।’

वे तीनों पुनः बट-वृक्ष की ओर चले । सिंह और जरख तो कुसले पर ही बैठ गये और बन्दर उछलता-कूदता वृक्ष की ओर चला । बन्दर को आते देखकर एक चोर ने दूसरे से कहा—‘अबकी बार बन्दर आ रहा है, इस दुष्ट से कैसे बचेंगे ?’ दोनों ने सलाह की और खोखरे के एक खोखरे में घुस कर बैठ गये ।

बन्दर पेड़ पर चढ़ा और कूद-कूद कर डाली-डाली, पत्ता-पत्ता देखा, पर कहीं कुछ पता न चला । विश्राम करने के लिए वह खोखरे पर जाकर बैठ गया । बन्दर को पूँछ खोखरे के भीतर लटकी थी । दोनों चोरों ने एक साथ पूँछ को मजबूती से कस कर पकड़ाया । अब तो बन्दर की जान काबू में आ गई । वह बहुत चीखा-पुकारा, आखिरकार बन्दर ने पूरी शक्ति लगाकर फटकारा मारा । पूँछ टूट कर चोरों के हाथ में रह गई और बन्दर तान से नीचे आ गिरा ।

शेर और जरख ने बन्दर की चीख-पुकार सुनी तो समझा कि बन्दर पकड़ा गया और वे दोनों दौड़ उठे । जब दौड़ते-दौड़ते वे बहुत दूर चले गये तो साँस लेने के लिए रुके । थोड़ी देर में बन्दर भी वहाँ आया । सिंह और जरख ने पूँछहीन बन्दर को देख कर मन ही मन कहा—‘बड़ा बुद्धिमान् बनता था । खूब रही !’ सिंह ने पूछा—‘क्या, कंसी रही ? मैंने कहा नहीं था कि टपूकड़े से पार नहीं पा सकते

बन्दर ने कहा—‘तुम बड़े धोखेबाज हो, वहाँ टपूकड़ा-वपूकड़ा का क्या ? वहाँ तो खींचा तान थी ।’ जरख बोल उठा—‘दबकन थी, दबकन

उक्त राजस्थानी कथा में 'टपूकड़ा', 'दबकन' और 'खींचातान'-इ  
प्रतिध्वनि-शब्दों का प्रयोग हुआ है। 'टपूकड़ा' शब्द तो बुढ़िया  
तथा शेष दो शब्दों का प्रयोग जरख और बन्दर ने किया।

इस प्रेरक अभिप्राय के कारण कथा में रोचकता आ जाती है। सि  
भक्ता है 'टपूकड़ा' उससे अधिक भयंकर प्राणी है, जरख समझता  
कन' मुझसे अधिक खूँखार है और बन्दर समझता है यह 'खींचाता  
भयंकर बना है।

इस प्रकार की लोक-कथाओं में रोचकता का मुख्य कारण है नाटकी  
य (*Irony*)। सिंह, जरख और बन्दर कुछ को कुछ समझ बैठते  
भयभीत होकर दौड़ खड़े होते हैं। यह नाटकीय व्यंग्य ही कथा व  
सर करने में सहायक हुआ है। जिस प्रकार किसी सिंह से पीछा कि  
पर हम बड़ी तेजी से दौड़ पड़ते हैं, उसी प्रकार 'प्रतिध्वनि-शब्द'  
रण यह कथा भी उतनी ही त्वरित गति से आगे बढ़ती है।

यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि इस कथा के उद्भ  
गास और परिणति अथवा आदि, मध्य और अंत, तीनों के मूल  
कीय व्यंग्य अपनी छटा दिखा रहा है। कथा का वास्तवि  
म्भ बुढ़िया के उस वाक्य में होता है जिसमें उसने कहा था—  
वान, मुझे सिंह तथा चोरों का भी उतना भय नहीं लगता जित्त  
कड़े का लगता है।' बुढ़ियार की यह उक्ति नाटकीय व्यंग्य की सृ  
ती है। बुढ़िया तो निरे अनुकरण-शब्द के अर्थ में 'टपूकड़े' का प्रयो  
ती है किन्तु सिंह उसे दूसरे अर्थ में समझ लेता है। बुढ़िया के वाक  
कारण जिस नाटकीय व्यंग्य की सृष्टि हुई है, वह अलंकारशास्त्र

सकते हैं कि जो वस्तुतः भयंकर है, वही भय का शिकार बन जा  
इससे बड़ा नाटकीय व्यंग्य और क्या होगा ?

इस अभिप्राय (*Motif*) से संबन्धित एक काश्मीरी लोक-कथा  
पर तुलना के लिए यहाँ दी जा रही है—

‘एक दिन एक किसान बँलों से खेत जोतने के लिए निकला । ज  
ने बँलों को जूड़े में लगा दिया, एक चीता उसके पास आया औ  
ने लगा—‘स्वामी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है जिससे मैं तुम्ह  
ों बँलों को खा जाऊँ ।’ किसान ने कहा—‘तुम बँलों को रहने द  
तुम्हारे भक्ष्य के लिए एक दुधार-गाय अभी लाये देता हूँ ।’ कि  
ान की स्त्री ऐसा करने के लिए राजी नहीं हुई । उसने किसान  
ड़े पहने और एक टट्टू पर सवार होकर उस स्थान पर पहुँची ज  
ा किसान की प्रतीक्षा कर रहा था । किसान की स्त्री ने कहा—  
सों मैंने तीन चीतों का शिकार किया था किन्तु उसके बाद मुझे को  
ा नहीं मिला । मैं समझती हूँ, यहाँ मुझे कोई न कोई चीता मि  
गा ।’ यह सुनते ही द्रुम दबा कर चीता दौड़ खड़ा हुआ । मार्ग  
की एक गोदड़ से भेंट हुई । चीते ने कहा—‘मेरे पीछे एक ऐ  
ु लगा हुआ है जो चीतो का भक्षक है ।’ गोदड़ ने उत्तर दिया  
ससे तुम भयभीत हो रहे हो, वह तो केवल एक स्त्री है । किन्तु पि  
चीते का भय दूर नहीं हुआ और उसने गोदड़ की पूँछ से अपना  
ध बाँध ली । जब उस स्त्री ने दोनों को इस हालत में देखा, वह कह  
ी—‘सियार, तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम मेरे लिए इतना हृष  
चीता ले आये हो किन्तु तुम्हारे यहाँ तो चीते बहुत हैं, उन

लाया किन्तु चीते ने एक न सुनी । पत्थरो की रगड़ से गोदड़ के  
 ण-पखेरू ही उड़ गये !<sup>१</sup>

उक्त काश्मीरी लोक-कथा में 'प्रतिध्वनि-शब्द' के स्थान में नाटकीय  
 का ही यत्किंचित् प्रयोग हुआ है और उसी दृष्टि से 'टपूकड़े' शीर्ष  
 स्थानी लोक-कथा से इसकी तुलना की जा सकती है । किन्तु वेरिय  
 बिन द्वारा संगृहीत 'बीकल की शक्ति' (*The Power of Bika*)  
 एक लोक-कथा यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से विशेषतः उल्लेखनीय है :-

“किसी गाँव में एक व्यापारी रहता था । उसके एक लड़का था  
 रात तीन चोर व्यापारी के घर में घुस गये । उसी रात व्यापार  
 पुत्र को खा जाने के लिए एक चीता भी उसी घर में घुसा ।

शाम के भोजन के बाद लड़के ने अपने पिता से कहा—‘मैं आ  
 काल अपने ससुर के यहाँ जाना चाहता हूँ ।’ किन्तु व्यापारी  
 —‘मेरे पुत्र, इस समय न जाओ । रात का समय है और कि  
 कल’ का डर है ।’

चीते ने यह बातचीत सुनकर मन में सोचा—‘रात का नाम त  
 भी सुना है, लेकिन यह ‘बीकल’ क्या बला है ? यह तो कोई मुझ  
 भयंकर प्राणी होगा ।’

जब घर वाले सब सो गये, चोरों ने सब रुपये चुरा कर एक बोरे  
 लिये, लेकिन बोरा इतना भारी था कि वे इसे उठा न सके । इ  
 पशुओं के ‘ठाण’ में वे एक बैल की तलाश में निकले । चीता भ

बैठा हुआ था। अंधेरे में चोरों ने, उसे ही बेल समझा, उस  
वन में रस्सी डाल दी और उसकी पीठ पर बोरा लाद दिया। च  
समझा—‘यही बीकल है। इससे वह चुपचाप बोरा लेकर आगे चल

प्रातःकाल जब चोरों ने चीते को देखा तो उनके होश उड़ गये  
अपनी जान लेकर भगे। पास में एक नाला था जिसके किनारे ची  
गया। चीते के अनुनय-विनय करने पर एक ग्वाले ने, जो पास  
में चरा रहा था, बोरा चीते की पीठ पर से उतारा और [उसे मु  
दिया। रुपयों का थैला ग्वाला अपने घर ले आया।

एक दिन चीता ग्वाले को ले भागा। ग्वाले की स्त्री उसे ढूँढ़त  
ती चीते के पास पहुँची। चीते ने पूछा—‘यह कौन है?’ ग्वाले  
पर दिया—‘यह बीकल है।’ इस पर चीता भयभीत हो उठा और  
ने ग्वाले से कहा—‘यदि तुम मुझे कही छिपा दोगे तो मैं तुम्हें न  
ऊँगा।’ तब ग्वाले की स्त्री ने कहा—‘क्या बीकल के भक्ष्य के लि  
अच्छे चीते मिल सकते हैं?’ ग्वाले ने कहा—‘यहाँ कोई ची  
ले या न मिले, मैं नहीं कह सकता।’ तब स्त्री ने कहा—‘तुम्ह  
भीष ही जमीन पर वह क्या है?’ ग्वाले ने कहा—‘वह तो नि  
डों का गट्टर है।’ स्त्री ने कहा—‘उस पर पत्थर मार कर ज़रा दे  
सही।’ चीते ने ग्वाले से कहा—‘मुझ पर धीरे से पत्थर मारो  
ले ने चीते के सिर पर धीरे से पत्थर मारा। लेकिन उसकी स्  
कहा—‘धीरे नहीं, जोर से पत्थर मारो।’ चीते ने ग्वाले से कहा—  
‘जोर से पत्थर मारो।’ ग्वाले ने पूरी शक्ति से चीते पर पत्थरों  
र किया और चीते की मृत्यु हो गई।

उक्त लोक-कथा में भी राजस्थानी कथा की भाँति प्रतिध्वनि-शब्द मूल अभिप्राय का प्रयोग हुआ है, जिसमें साथ-साथ नाटकीय व्यंग्य चमत्कार भी है।

राजस्थानी लोक-कथाओं में प्रतिध्वनि-शब्द के मूल अभिप्राय का वह रूप भी उपलब्ध होता है जिसमें शब्द ध्वन्यर्थव्यंजक (*Onomatopoeic*) न होकर सादृश्य (*Analogy*) के आधार पर बना होता है। शेष चमत्कार-सृष्टि दोनों प्रकार की कथाओं में प्राचीन रूप से देखने में आती है।

‘घोड़ी’ का पुल्लिङ्ग रूप जैसे ‘घोड़ा’ होता है, उसी प्रकार सादृश्य-आधार पर ‘इन्द्र की परी’ का पुल्लिङ्ग रूप ‘इन्द्र का परा’ गढ़ा जाता है। निम्नलिखित राजस्थानी कथा में शब्द-निर्माण की इस सादृश्य-पद्धति का आश्रय लिया गया है। कथा इस प्रकार है :—

“एक दिन एक किसान जब खेत से लौट रहा था तो रात का घना अँधेरा चारों ओर फैल चुका था। किसान के सर पर पानी खींचने के लिये रस्सा था और बगल में एक भेड़ का बच्चा था। मार्ग में उसे एक भूत मिला। भूत ने किसान से पूछा—‘तू कौन है?’ किसान ने पूछा—‘मैं कौन हूँ?’ भूत ने कहा—‘मैं भूत हूँ।’ किसान ने कहा—‘मेरा क्या पूछना है?’ भूत ने कहा—‘आज मुझे बहुत भूख लग रही है। तू ठीक मौके पर मिल गया। मैं तुझे अभी खाये डालता हूँ।’ किसान ने कहा—‘मित्र ! तू खूब मिला। हमारे देवताओं के राजा इन्द्र का परा हो रही है। धन्वंतरि ने मालिश के लिए भूत का तेल बताया है। तू मेरा तेल निकालता हूँ।’ भूत ने कहा—‘पहले यह निर्णय कर ले



भेड़ के बच्चे को बगल से निकाल कर फेंका और कहा—‘देख !’ भूत ने प्रपनी चोटी को खोल कर दिखाया और कहा—‘इतनी बड़ी चोटी दिखला ।’ किसान ने अपने भारी रस्से को खोल कर भूत के ऊपर फेंका । रस्से की कई आंठें भूत की गर्दन में पड़ गईं ।

भूत धवराया । उसने सोचा—‘वास्तव में यह कोई इन्द्र का परा हूँ ।’ अब तो भूत बहुत गिड़गिड़ाया । अंत में किसान ने भूत को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वह नित्य रात्रि को १० मन गेहूं किसान के घर में डाल जाया करे । किसान अपने खर्च-जितने गेहूं रख लेता, बाकी रोव बेंच डालता । बड़े धैन से उसके दिन कटने लगे ।

एक दिन भूत को उसका भिन्न एक दूसरा भूत मिला । उसने सब हाल सुन कर कहा—‘इन्द्र की परियाँ तो सुनी हैं, यह ‘इन्द्र का परा तुम्हीं से सुना । ज़रा मुझे बतला, उस इन्द्र के परे का घर । आज मैं ही उससे निबट लूँगा । तुम आज आराम करो ।’

पहले भूत ने उसे किसान का घर बता दिया । किसान के घर का दरवाजा देनो से एक बिल्ली परच गई थी, ‘हिल’ रही थी । वह घर का बहुत बुरा किसान करती रहती थी । किसान उससे तंग आ गया था । उसने सोचा—‘आज बिल्ली को अवश्य बण्ड दूँगा ।’ किसान ने घर का दरवाजा, खिड़कियाँ आदि सब बन्द कर दिये; केवल एक छोटी ताक खुली रखी और उस ताक पर रस्सी का फन्दा जमा दिया तथा स्वयं निगरानी के लिए जागता रहा ।

दूसरा भूत अंधेरा होते ही वहाँ पहुँचा । उसने सोचा—‘पहले ज़रा मुझे बतला, उस इन्द्र के परे का घर ।’

किसान ने पूछा—‘तू कौन है?’ भूत ने कहा—‘मैं गेहूँ लाने वाले भूत का मित्र हूँ।’ किसान ने कहा—‘तू यहाँ क्या करता था?’ भूत ने कहा—‘मैं यह पूछने आया था कि गेहूँ पिसवाने में आपको कठिनाई होती होगी, क्यों नहीं, आटा ही ला दिया जाय।’

किसान ने कहा—‘ठीक है, कल से १० मन गेहूँ का आटा डाल जाया करो।’

अब पहला भूत नित्य १० मन गेहूँ लाता और दूसरा उसका आटा पीसता। इस प्रकार वह बुद्धिमान किसान बड़े आनन्द से जीवन बसर करने लगा।”

प्रतिध्वनि-शब्द के प्रेरक अभिप्राय से संबन्ध रखने वाली जितनी लोक-कथाएँ मिलती हैं, उनमें प्रायः सभी में संयोग-तत्त्व का समावेश देखने में आता है। दूसरी बात यह है कि जो बढ़-बढ़ कर बातें बनाते हैं, शेखी बघारते हैं अथवा हवा बाँधते हैं, उन्हें ही संयोग से नीचा देखना पड़ता है जिससे एक प्रकार के अद्भुत व्यंग्य की सृष्टि होती है। लोक-कथाकार के हाथ में संयोग-तत्त्व एक बड़ा भारी कौशल (*Device*) है, कथा को यथेच्छ गति देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण साधन है।



## ४. सूल-अभिप्राय ( उपश्रवण )

( *Overhearing Motif* )

प्रायः सभी देशों की लोक-कथाओं में देखा जाता है कि पशु-पक्षियों की अपनी एक अलग ही भाषा होती है। इनमें भी पशुओं की भाषा की अपेक्षा पक्षियों की भाषा का ही विशेष हाथ रहता है। सम्भवतः इसका मुख्य कारण यह है कि पक्षी तो उड़कर दूर-दूर तक के अगम्य स्थानों तक जा सकता है जबकि किसी पशु के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं। पक्षी किसी आड़ू के द्वीप की यात्रा कर सकता है, किसी गुप्त गुफा में उसका प्रवेश हो सकता है, चाहे जिस पेड़ पर वह बंठ सकता है, किसी कमरे की छिड़की पर स्थित होकर जो कुछ अन्दर हो रहा है, उसे वह देख सकता है। आदिम मानव की धारणा के अनुसार पक्षियों में बड़ी सूझ-बूझ और समझ होती है और बहुत से रहस्यों का ज्ञान उन्हें रहता है।

लोक-कथा का जब कोई नायक किसी विपत्ति या संकट में पड़ जाता है, वह पशु या पक्षी के परस्पर बात-चीत करते हुए किसी जोड़े को देखता है और पीछे से छिपकर वह उस वार्तालाप को सुन लेता है, जिसके अनुसार काम करने से वह उस विपत्ति या संकट से छुटकारा पाता है।

इस अभिप्राय का प्रयोग कथा-भाग की गति देने के लिए होता है। लोक-कथा का नायक जब संकट में पड़ जाता है, श्रोता या पाठक को सूझ-बूझ देने के लिए



मूल अभिप्राय बहुत प्राचीन जान पड़ता है। खान्दोरा के अष्टम अध्याय में राजा जानश्रुति और रैक्व का उपाख्यान मिलता है। इस उपाख्यान में उक्त अभिप्राय का प्रयोग हुआ है। जानश्रुति ने समस्त दिशाओं में ग्राम और नगरों के भीतर धर्म-शालाएँ बनवा दी थीं। इससे उसका यह अभिप्राय था कि उन धर्म-शालाओं में निवास करने वाले लोग उसी के द्वारा विद्या हुआ अन्न ग्रहण करेंगे।

एक बार गर्मी के दिनों में राजा अपने महल की अट्टालिका पर बैठा हुआ था। उसी समय राजि में उधर से हंस उड़कर गये। उनमें से एक हंस ने दूसरे हंस से कहा—“अरे ओ भल्लाक्ष ! ओ भल्लाक्ष ! देख, जानश्रुति पौत्रायण का तेज धुलोक के समान फैला हुआ है; तू उसका स्पर्श न कर, वह तुझे भस्म न कर डाले।” उससे दूसरे (अग्रगामी) हंस ने कहा—“अरे ! तू किस महत्त्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है ? क्या तू इसे गाड़ी वाले रैक्व के समान बतलाता है ?” इस पर उसने पूछा—“यह जो गाड़ी वाला रैक्व है, कैसा है ?” इस प्रकार कहते हुए उस हंस ने दूसरे आगे चलने वाले हंस से कहा—“अरे ! यह बेचारा राजा तो बहुत चूछ है। “निकृष्टोऽयं राजा वराकः।” रैक्व की और उसकी क्या मता ? जो कुछ प्रजा संसार में धर्म-कार्य करती है, वह सबका सब रैक्व के धर्म में समा जाता है।” इस बात को जानश्रुति पौत्रायण ने न लिया। वह रैक्व के पास सहस्र गौएँ, हार, खच्चरियों से युक्त रथ या रैक्व की भार्या बनाने के लिए आगामी —

ही निश्चित कर दिया । इसके बाद रैक्व ने जानश्रुति को संवर्ग विद्या का उपदेश दिया ।<sup>२</sup>

जातक, कथा-कोश, कथासरित्सागर आदि में 'उपश्रवण' नामक अभिप्राय के अनेक उदाहरण मिलते हैं । 'कथाकोश' से एक उदाहरण लीजिये—

“एक पक्षी अपने बच्चे से कह रहा था कि अपने समीपवर्ती शहर की राजकुमारी अन्धी है । बच्चे ने कहा—‘क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे उसकी आँखें अच्छी हो जायें ?’ पक्षी ने उत्तर दिया—‘उपाय क्यों नहीं ? उपाय तो है किन्तु मैं रात को नहीं, दिन में बतलाऊँगा । हो सकता है, रात को कहीं कोई छिपा हुआ हो जो हमारी बात को सुन ले ।’ किन्तु पक्षी के बच्चे ने जब बहुत हठ किया तो उस पक्षी ने कहा—‘इस बरगद के पेड़ की जड़ों के चारों ओर जो लता फैली हुई है, उसके रस से यदि आँखें धोई जायें तो राजकुमारी को तुरन्त दिखलाई पड़ने लग जायगा ।’ एक राजकुमार जो स्वयं अन्धा था, उस बरगद के नीचे छिपा खड़ा था । उसने इस वार्तालाप को सुन लिया । उसने लता के रस से अपनी आँखें धो डालीं । ऐसा करते ही उसे दिखलाई पड़ने लग गया । तब वह राजकुमार तुरन्त ही समीपवर्ती नगर में गया और राजकुमारी की आँखों पर भी उसने वही प्रयोग किया । राजकुमारी की भी गई हुई आँखें लौट आईं । परिणामस्वरूप राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया और राजकुमारी के पिता ने राजकुमार को दहेज में अपना आधा राज्य भी दे दिया ।<sup>१</sup>

इस अभिप्राय से संबन्ध रखने वाली अनेक राजस्थानी लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं जिनमें से एक यहाँ दी जा रही है :—

कोकशास्त्र को जानने वाली एक साहूकार की लड़की थी ।  
 त्यों की बोली वह समझती थी । एक बार आधी रात के समय  
 आर बोल उठा—“नदी में एक मुर्दा बहा जा रहा है, उसकी ज  
 वार लाल हैं, कोई सुन रहा हो तो लाल निकाल ले ।” साहूकार  
 ने इतना सुनते ही कटार हाथ में ली और अकेली ही महल  
 र कर चल दी । रास्ते में दो ठग मिल गये । उन्होंने उसके  
 षण छीन लिये और उसकी कटार भी हस्तगत करली । इतने  
 र साहूकार का लड़का निद्रा से जगा । पास में जब साहूकार  
 ही को उसने नहीं देखा तो चिराग जलाई और उसकी तलाश  
 ला । कुछ दूर चलने पर उसे साहूकार की लड़की दिखलाई पडी  
 कार के लड़के ने चिराग तो बुझा दी और वह यह देखने के लि  
 कार की लड़की के पीछे हो लिया कि यह चोरी करने जाती  
 वा किसी प्रकार का अन्याय करने जाती है । साहूकार की लड़की  
 के समीप गई । मुर्दे को पकड़ कर वह उसे किनारे पर ले आई  
 उसके पास कटारी तो थी नहीं, उसने अपने दाँतों से मुर्दे को जा  
 डी और चारों लाल उसमें से निकाल ली । यह देखकर साहूकार  
 तो हक्का-बक्का रह गया । उसने अपने मन में कहा—यह तो डाकि  
 वह पीछे लौट चला और उसने अपने पिता से कहा—“यह  
 ती श्री है, वह मेरे काम की नहीं । इसे महल में रखा तो मैं विदे  
 ना जाऊँगा अथवा कटारी खाकर मर जाऊँगा ।” लड़के के पिता  
 को पीहर भेजने का विचार किया । रथ जुड़ाया और श्वसुर  
 छे-पीछे चला । एक बरगद के पेड़ के नीचे रथ ठहरा । वहाँ पा

उससे फायदा उठा ले ।' यह सुनते ही साहूकार की बेटी बोली—  
 "श्रृंगाल ने तो यह किया और अब है कौवे ! तू क्या करने वाला है ?  
 इतने में इवसुर जग उठा । उसने पूछा—'बेटी ! यह क्या कह रही हो ?  
 साहूकार की बेटी ने कहा—'इवसुरजी ! मैं पशु-पक्षियों की बोली सम-  
 भती हूँ । सियार ने तो मुर्दे को जाँघ में चार लाल बतलाई थीं और  
 अब यह कौवा बालाजी की इस मूर्ति के नीचे चार बर्तनों की सबर दे  
 रहा है ।' इवसुर ने बालाजी की मूर्ति को तो उठाकर एक ओर रखा  
 और चारों बर्तन निकाले । इवसुर ने कहा—'बेटी ! वापिस चल ।'  
 साहूकार की बेटी ने उत्तर दिया—'पति तो मूर्ख है, बात-बात पर व्यर्थ  
 का हठ करने लगता है ।' इवसुर ने कहा—'बेटी ! पति तो जैसा हो,  
 भुगतना ही पड़ता है ।' अन्त में इवसुर की बात मान कर साहूकार की  
 बेटी वापिस आ गई । इवसुर ने अपने मूर्ख लड़के को चार लाल तथा  
 रुपयों और मोहरों से भरे चारो बर्तन समूहला दिये । मूर्ख भी प्रसन्न  
 हो गया । उसका घर-बार बस गया । जैसा उसका घरबार बसा, वैसा  
 ही सब किसी का बसे ।<sup>१</sup>

ब्लूमफील्ड के मतानुसार 'उपश्रवण' नामक मूल अभिप्राय का प्रयोग  
 एक कथा-कौशल के रूप में होता है, केवल इस अभिप्राय को लेकर  
 पायद ही कोई कथा कही जाती हो । किन्तु 'साहूकार की बेटी' शीर्षक  
 से कथा ऊपर उद्धृत की गई है, वह मुख्यतः उपश्रवण नामक मूल  
 अभिप्राय की ही कथा है; समूची कथा इसी अभिप्राय को लेकर  
 ली है ।

फिर भी ब्लूमफील्ड का यह कहना यथार्थ है कि उपश्रवण नामक अभिप्राय का प्रयोग अधिकतर कथा को गति देने के लिए ही किया जाता है। 'चौबोली' नामक प्रसिद्ध राजस्थानी लोक-कथा में इस अभिप्राय का प्रयोग कथा-कौशल के रूप में ही हुआ है। इस सम्बन्ध में उक्त कथा का निम्नलिखित अंश प्रासंगिक समझ कर यहाँ उद्धृत किया जा रहा है :—

“एक दिन राजा भोजन कर रहा था और रानीजी सखियाँ उड़ा रही थीं। पक्का आंगन था। वहाँ एक चींटी चावल लेकर चली। उसी समय दूसरी चींटी आकर छीनने के लिए लिपट गई। तब चींटी ने कहा—‘मेरे आगे से क्यों छीनती है ? ये चावल राजा भोज की थाली में बहुत पड़े हैं।’ इस पर चींटी ने कहा—‘हमारे मेहमान आये हैं, मुझे ले जानें दे।’ ऐसी बात समझ कर राजा भोज हँसा। राजा सब जीवों की भाषा जानता था। तब रानी ने पूछा कि महाराज, आप किस कारण हँसे ? राजा ने इन्कार किया। रानी बहुत आग्रह करके पूछने लगी कि महाराज, मुझे हँसने का वृत्तान्त कहो। राजा ने मन में विचार किया—इन्कार कर गया तो अब मैं कहने का नहीं। यदि कह दिया तो मरण होगा। रानी दानुन नहीं करती। तब राजा ने कहा कि गंगाजी के तट पर बात कहूँगा। राजा चला। गंगाजी के समीप सेहकर शहर था। उसके बाहर आकर राजा उतरा। वहाँ से पाँच गोल की दूरी पर एक नदी के समीप जंगल में डेरा डाला गया। नदी में शोभा देखकर राजा जंगल में गया जहाँ एकान्त था। आगे एक आ था। कुएँ के अन्दर ककड़ी के बेल के बहुत से फल लगे हुए थे। एँ के पास भेड़-बकरियों का झुण्ड बना हुआ था।



सुनकर राजा ने विचार किया कि मैं चौदह विद्या निधान और मेरी बुद्धि का भेद एक बकरे ने प्रकट कर दिया ।"<sup>१</sup>

उक्त अद्वतरण से स्पष्ट है कि लोक-कथाओं के चींटी जैसे धुद्र जन्तुओं और बकरा-बकरी जैसे पशुओं के पास भी मानव-जाति से संबद्ध बहूत से रहस्य सुरक्षित रहते हैं जिनका उद्घाटन उनकी पारस्परिक वार्तालाप द्वारा ही जाता है । कहानी का प्रमुख पात्र इस प्रकार के रहस्योद्घाटन से लाभान्वित होता है । यद्यपि 'चौबोली' कहानी में भोज की रानी रहस्योद्घाटन करने का हठ नहीं करती, वह समझ जाती है कि राजा भोज 'चौबोली' से विद्याह करना चाहता है, गङ्गा की यात्रा की बात तो केवल बहानेबाजी है किन्तु फिर भी यह निश्चित है कि बकरा-बकरी के पारस्परिक वार्तालाप को सुनने के बाद राजा भोज स्त्री के लिए अपने प्रारणों को खतरे में नहीं डालता ।

लोक-कथाओं का नायक, जैसा पहले कहा जा चुका है, पशु-पक्षियों की भाषा जानने वाला होता है और वह जब किसी विपत्ति में पड़ जाता है तो पशु-पक्षियों की पारस्परिक वार्ता को सुनकर तथा तदनुकूल कार्य करके विपत्ति से छुटकारा पा जाता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि उपश्रवण नामक मूल अभिप्राय का सम्बन्ध धुद्र जन्तुओं तथा पशु-पक्षियों की भाषा और उनके पारस्परिक वार्तालाप से है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि दो व्यक्तियों की बात को छिपकर सुन लेने से किसी रहस्य का पता नहीं चलता । ऐसी भी लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं जिनमें व्यक्तियों के वार्तालाप के द्वारा किसी रहस्य का उद्घाटन होता है । बाहरण के लिए 'सखी मितराई' शीर्षक एक राजस्थानी कथा में जिनके जिनके --

नवल की हत्या कर डालता है। नवल की स्त्री को बंशी पर शक था। एक शाम को वह लुक-छिप कर बंशी की भोंपड़ी के पीछे खड़ी हो गई। बंशी ने अपनी स्त्री को आवाज दी कि मैं तेरे लिए जो गहने लाया हूँ, उन्हें पहन कर तो दिखला, ये तुझे कैसे लगते हैं? स्त्री ने गहने पहन कर दिखलाये और अपने पति से पूछा—“इतने गहने आपने मेरे लिए कैसे बनवा दिये?” बंशी मुस्करा दिया और बोल उठा—“अरी पगली! दोस्त भी तो ऐसा ही पकड़ा था। सेठजी का लड़का नवल बहुत-सा धन लेकर परवेश गया था। भौंका पाकर उसे खत्म कर दिया और ये गहने तुम्हारे लिए बन गये।”

इस कहानी में नवल की स्त्री, बंशी और उसकी पत्नी के वार्तालाप को छिप कर सुनती है और इस दृष्टि से यह भी एक प्रकार का ‘उपश्रवण’ तो है ही; किन्तु यह उपश्रवण कथा-कौशल के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए इसे उपश्रवण नामक मूल अभिप्राय नहीं माना जाना चाहिए।

ब्लूमफील्ड का इरादा हिन्दू-कथाओं के अभिप्रायों का एक विश्वकोश तैयार करने का था। उनका विचार था कि मूल अभिप्रायों में ‘उपश्रवण’ नामक अभिप्राय का स्थान उसकी सर्वसामान्यता और बहुमूल्यता के कारण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रहेगा।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bloomfield thought that the ‘Overhearing’ Motif would figure large ‘as one of the most common & precious devices of stories’ in his future Encyclopaedia of Hindu Fiction. Its intention is in allowing the hero

राजस्थानी लोक-कथाओं में भी उक्त अभिप्राय के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं जिनमें से कुछ का ऊपर उल्लेख किया गया है ।



*information or instruction in perplexing situations The motif is generally what is called 'progressive'. It is rarely the main theme of the story, but it is a very valuable way of advancing the plot in circumstances where the usual means of imparting information to the characters by letters, newspapers or messages are not available.*

*Most commonly it is a bird which is overheard; on the whole the conversation of birds is the standard source of information. 'A little bird told me' seems to be the rock bottom of the notion founded on the sincere folklore feeling that the chirp and twitter of birds is the prime and natural source of otherwise inaccessible information, and Bloomfield goes on to point*

## ५. मूल अभिप्राय (Motif)

परकाया-प्रवेश अथवा पन्द्रहवीं विद्या

( *Entering another's body* ).

योग-शास्त्र संबन्धी ग्रन्थों में योग की शक्तियों द्वारा असाधारण कृत्यों की सिद्धि के उल्लेख मिलते हैं। परकाया-प्रवेश भी ऐसे ही असाधारण कृत्यों में से एक है। कथासरित्सागर में इसे 'अन्यदेहप्रवेशको योगः' तथा 'विहान्तर-आवेश' के नाम से अभिहित किया गया है। अन्य ग्रन्थों में 'परकाया प्रवेश' को 'पर पुर प्रवेश' भी कहा गया है। जायसी के 'पद्मावत' में भी अनेक स्थानों पर 'परकाया प्रवेश' का प्रसंग उपलब्ध होता है। उदाहरणार्थ—

रूप तुम्हारे जीव कै, आयत पिंड कमावा फेरि ।

आपु हेराइ रहा तेहि खँड होइ काल न पावै हेरि ॥१॥

अस वह जोगी अमर भा पर काया परवेश ।

आव काल तुम्हहि तहँ देखै बहुरै कै आदेश ॥२॥

( गद्यर्च सेन मंत्री खंड )

अर्थात् अपने जीव की तुम्हारे रूप का करके उस रत्नसेन ने परकाया-प्रवेश द्वारा दूसरा शरीर प्राप्त किया है। तुम्हारे शरीर के एक ऋण्ड (हृदय) में उसका आया छिया हुआ है। अतएव मृत्यु उसे ँड़ नहीं पाती ॥१॥

इस प्रकार परकाया-प्रवेश से वह जोगी अमर हो गया है। काल ता है और उसके घर में तम्रें देखना ३ —

जायसी का पदमावत एक ऐसा काव्य है जिसमें योग-दर्शन और लोक-कथा दोनों के तत्त्वों का समावेश हुआ है। 'परकाया प्रवेश' इस प्रकार का मूल अभिप्राय है जिसमें कथा और दर्शन दोनों का सम्मिलन देखने को मिलता है।

भारतवर्ष में चिरकाल से 'परकाया-प्रवेश' में विश्वास करने वाले लोग रहे हैं। बौद्ध ग्रन्थों में बतलाया गया है कि चन्द्रगुप्त की मृत्यु पर उसके मृत-शरीर में देवगर्भ नामक एक यक्ष प्रवेश कर गया था। बहुत से हिन्दू इस बात में विश्वास करते हैं कि जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा उसे छोड़ कर अन्यत्र भ्रमण करने के लिए निकल जाती है। इसीलिए सोते हुए मनुष्य से छेड़-छाड़ करना अथवा उसे मज्जाक करना बहुत बुरा समझा जाता है। यदि सोये हुए मनुष्य के मुख किसी प्रकार के लेप द्वारा विकृत कर दिया जाय तो संभव है कि उसके बाद लौट कर आई हुई आत्मा उस व्यक्ति को न पहचान सके और मृतक के रूप में छोड़ कर चली जाय।<sup>१</sup>

पर काया-प्रवेश जो हमारे योग-दर्शन का सिद्धान्त है, उसका प्रवेश हमारी लोक-कथाओं में हो गया है तो इसमें किसी प्रकार के अचर्य की बात नहीं।

लोक-कथाओं में परकाया-प्रवेश की सक्रिय और निष्क्रिय दो प्रकार की पद्धतियाँ दिखलाई पड़ती हैं। सक्रिय पद्धति का रूप वह है जहाँ एकात्मिक आत्मा को शरीर से खाली छोड़ दिया जाता है, दूसरा, जो प्रायः शत्रु होता है, शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर के उक्त स्वामी का फिर अचेत बड़ा शरीर नहीं रह जाता। दो मनुष्य

श्रीर उसे अपने पूर्व-शरीर को प्राप्त करने का सुअवसर मिल जाय ।  
 क्रय परकाया-प्रवेश' के उदाहरण-स्वरूप राजस्थानी की एक  
 नलिखित लोक-कथा लीजिये—

“राजा भोज उज्जयिनी में राज्य करता था । उसके एक रानी थी  
 का नाम था भानमती । उसने भोज से कहा—‘बैसे तो आप चौदह  
 ा निधान हैं, किन्तु काया-पलट की १५ वीं विद्या और सीखिये ।’  
 ती स्त्री की बात मान कर भोज १५ वीं विद्या सीखने के लिए पाटन  
 । पाटन शहर से एक कोस की दूरी पर एक साधु रहता था । उसका  
 ा भिक्षा माँगने के लिए शहर में जाया करता था । राजा भोज ने  
 ाडु द्रव्य और व्यंजन देकर चेले को खुश कर लिया । साधु काया-  
 ट अथवा परकाया-प्रवेश की १५ वीं विद्या जानता था । भोज ने  
 । से कहा—‘तुम्हारा गुरु इस बिलक्षण विद्या को जानता है । वह तो  
 वृद्ध हो चला, तुम उससे यह विद्या क्यों नहीं सीख लेते ?’ चेले ने  
 ।—‘मेरा गुरु आज ही मुझे इस विद्या के सम्बन्ध में मंत्र की दीक्षा  
 ।’ एक धोबी ने भी यह बात सुन ली । इसलिए राजा भोज और  
 धोबी दोनों चेले के साथ-साथ चले । साधु की कुटी पर पहुँच कर  
 ा भोज और धोबी दोनों छिप गये । गुरु ने १५ वीं विद्या का उपदेश  
 रम्भ किया किन्तु चेले को अँध आने लगी । भोज इस बात को ताड़  
 । । इसलिए चेले की जगह हुंकारा वह देता गया । जब उपदेश समाप्त  
 । तो साधु ने चेले से पूछा—‘तुमने मंत्रोपदेश भली भाँति समझ  
 या या नहीं ?’ चेले ने कहा—‘गुरुवर, मुझे तो बीच में ही अँध आने  
 ली थी, इसलिए मैं तो कुछ समझ नहीं पाया ।’ साधु ने पूछा ‘तो फिर

राजा १५ वीं विद्या तो सीख ही गया था। साधु को पीछे आ  
 देख कर वह शुक होकर उड़ा। साधु ने शुकी बन कर उसका पीछा  
 किया। शुक उड़ता-उड़ता पाटन की राजकुमारी के महल में चला गया  
 राजकुमारी ने उसे पकड़ लिया। शुकी भी उड़ती-उड़ती जब उधर पहुँचा  
 उसे मार कर वहाँ से उड़ा दिया। साधु बिल्ली बन गया और  
 महल में था कि किसी प्रकार वह शुक का काम तमाम कर दे। रात  
 में शुक बना रहता और रात को अपने असली रूप में प्रकट  
 होता। राजा ने राजकुमारी से कहा कि यह जो बिल्ली घूमती दिखल  
 जाती है, यह मामूली बिल्ली नहीं है, यह मेरे प्राणों की ग्राहक है। शु  
 क रहने में मेरी कुशल नहीं। यह सोच कर राजा मोतियों का हार बना  
 और राजकुमारी के गले में बैठ गया। साधु ने बाजीगर का वे  
 किया और खेल दिखला-दिखला कर पाटन के राजा को रिझा लिया  
 राजा ने साधु से वरदान माँगने के लिए कहा। उसने वरदान के रूप  
 राजकुमारी के हार की माँग की। राजकुमारी ने हार बन कर बं  
 राजा भोज से परामर्श किया। हार ने कहा-मोती तोड़कर दे दो और  
 को मुट्ठी में रख लो। राजकुमारी ने मोती तोड़ कर दे दिये और  
 को मुट्ठी में रख लिया। बाजीगर ने कुत्ता बन कर मोती चुगे  
 राजा भोज ने राजकुमारी से कहा—'मेरु छोड़ दे।' मेरु छोड़ने के ब  
 राजा भोज बिल्ली बन गया और उसने कुत्ते की नसें तोड़ डाली  
 राजकुमारी का पिता पाटन का राजा यह सब देख कर अवाक् रह गया  
 राजकुमारी ने उसे सब तथ्यों से अवगत कराया। राजा बिल्ली से पि  
 का बन गया और पाटन की राजकुमारी से उसका विवाह हो गया।

एक बार राजा शिकार के लिए गया और उसने उस घोबी को भी जिसने १५ वीं विद्या सीख ली-थी, अपने साथ ले लिया । राजा ने हरिण और हरिणी के जोड़े को देखा । इस युगल को देख कर राजा भुग्ध हो गया । उसने हरिण को मार डाला और स्वयं हरिण बनने की इच्छा से उस घोबी को कहने लगा—‘मैं हरिण की काया में प्रवेश कर रहा हूँ । तुम मेरी ‘खोड़’ (काया) के मक्खी न लगाने देना ।’ राजा हरिण की काया में प्रवेश कर गया । उधर राजा की काया खाली देख कर घोबी के मन में बड़ा सूझा । वह राजा की काया में प्रवेश कर गया और घोड़े पर चढ़ कर राजा रूप उस हरिण को मारने बीड़ा । राजा तुरन्त ही शुक बन कर उड़ गया । राजा बने हुए उस घोबी ने चिड़ीमारों को हुक्म दिया कि शहर में जो भी पक्षी आये, उसे मार डाला जाय । लोग इस रहस्य को समझ नहीं सके । सब यही कहने लगे—‘राजा भोज की बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई ? वह तो कभी ऐसा पापी न था ।’ किन्तु भानमती जो १५ वीं विद्या जानती थी, वह इस रहस्य को समझ गई । उसने सोनारी को राजा भोज का पता लगाने के लिए भेजा । शुक बने हुए भोज ने सोनारी को सब समाचार कहे । सोनारी शुक को छिपा कर भानमती के पास ले आई । भानमती ने सोलह शृंगार किये । राजा बने हुए उस घोबी ने कहा—‘आज तो रानी प्रसन्न दिखलाई पड़ती हैं ।’ भानमती ने कहा—‘पहले भी तो आप बकरा बना करते थे और मैं घुटनो के बल चल कर आया करती थी । आज भी आप बकरा बन कर दिखलाइये ।’

घोबी ने राजा की काया छोड़ ज्यों ही बकरे की काया में प्रवेश किया, राजा भोज अपनी ‘खोड़’ में आ गया । राजा के अपनी काया



ऊपर जो राजस्थानी लोक-कथा दी गई है, उसमें काया-पलट-सम्बन्धी घटनाओं का अरुद्धा घात प्रतिघात या जमघट देखने को मिलता है, इसलिये यह सक्रिय पद्धति का निदर्शन प्रस्तुत करती है।

जायसो के पद्मावल से जो अंश उद्धृत किया गया है, उसे निष्क्रिय-पद्धति का उदाहरण समझिये।

भारत के अन्य प्रदेशों में भी काया-पलट के अभिप्राय से सम्बन्ध रखने वाली अनेक लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं किन्तु राजस्थान में इस प्रकार की लोक-कथाएँ प्रचुरता से प्राप्त होती हैं। राजस्थान के जन-जीवन पर नाथ-पंथ का प्रभाव इसका एक कारण हो सकता है।

राजस्थानी लोक-कथाओं में इस मूल अभिप्राय (*Motif*) को १५ वीं विद्या अथवा काया-पलट का नाम दिया गया है।



## ६. मूल अभिप्राय (नटो तो कही मत)

खरपुत जातक में बतलाया गया है कि राजा मेनक ने एक नागों के राजा से मित्रता करली थी। नागों के राजा ने प्रसन्न होकर सेनक को एक ऐसा मंत्र दिया जिसकी सहायता से वह सभी प्रकार की बोलियों को, यहां तक कि चींटियों की पारस्परिक बातचीत को भी समझने लग गया।

एक दिन जब राजा भोजन कर रहा था तो शहद की बूंद, कुछ गुड़ तथा रोटी का टुकड़ा—ये सब जमीन पर गिर पड़े। एक चींटी यह देखकर चिल्ला उठी—“राजा के शहद का घड़ा फूट गया है, उसके गुड़ की गाड़ी तथा रोटी की गाड़ी उलट गई है; चलो, अच्छा हुआ, खूब शहद, गुड़ और रोटी खाने को मिलेगी।” चींटी की यह बात सुन कर राजा को हंसी आ गई। उसकी रानी ने हंसने का कारण पूछा। राजा के सामने बड़ी कठिन समस्या थी। नागों के राजा ने मंत्र देते समय सेनक को चेतावनी दे दी थी कि अगर वह इस मंत्र का भेद किसी को दे देगा तो उसे तुरन्त अग्नि में प्रवेश कर के प्राण-दण्ड का भागी बनना पड़ेगा। राजा ने बहुतेरा चाहा कि वह भेद की बात किसी को न कहे केन्तु जब उसकी रानी ने बहुत अधिक आग्रह किया तो राजा अपने हंसने का कारण बतलाने ही वाला था कि उसने एक बकरे और बकरी में प्रेम-कहानी सुनी और संभल गया।

ऊपर की कथा में जिस मूल अभिप्राय का प्रयोग हुआ है, उसे अग्नि-र एलबिन ने निम्नलिखित

इस मूल अभिप्राय का हम संक्षेप में नामकरण करना चाहें तो इसे "नटो तो कहो मत" का नाम दिया जा सकता है। यह मूल अभिप्राय किनना प्राचीन है, यह ऊपर दी हुई जातक-कथा से स्पष्ट है। इस अभिप्राय से संबन्ध रखने वाली अनेक लोक-कथाएँ उपलब्ध हैं। सिंहल की एक लोक-कथा यहाँ दी जा रही है :—

'चींटियों की बातचीत सुन कर एक राजा को हँसी आ गई। उसकी रानी ने हँसी का कारण पूछा। इतने में राजा ने परस्पर भगड़ते हुए बन्दरों की बातचीत सुनी। एक बन्दर की स्त्री भोजन के बारे में बड़ा तूफान मचा रही थी। बंदर ने श्राव देखा न ताव, अपनी स्त्री की अच्छी पिटाई की। राजा ने यह देख कर मन में विचार किया— "ये बन्दर जैसे प्राणी ही जब अपनी स्त्रियों से नहीं डरते तो मैं ही क्यों डरूँ?" उसने भी अपनी स्त्री को खूब पीटा। उसके बाद रानी ने राजा को कभी परेशान नहीं किया।"

इसी प्रकार इटली की एक कहानी से बताया गया है कि एक बार ईसामनीह किसी धनवान के यहाँ ठहरे और उसे जानवारों की बोली समझ सकने का वरदान दिया किन्तु साथ ही यह चेतावनी भी दे दी कि वह इस भेद को किसी से, यहाँ तक कि अपनी स्त्री से भी, नहीं कहे। उस धनी व्यक्ति ने एक बार एक बैल और गधे की बातचीत सुनी। उसे बात सुनने में इतना आनन्द आया कि वह हँसी से लोट-पोट हो गया। उसकी स्त्री ने जब हँसी का कारण पूछा तो उस धनी व्यक्ति ने बताने इन्कार कर दिया। इस पर स्त्री बहुत रूठ गई। धनी व्यक्ति भी बड़ा डी हुआ और समझ नहीं पा रहा था कि इस समस्या को कैसे हल दे? अंत में उसने डींग मारते हुए एक मुर्गे की बात सुनी। वह कह रहा था—'स्त्री को वश में रखना नया —

अनेक लोक-कथाएँ ऐसी मिलती हैं जिनमें रानी राजा से भेद प्रकट करने के लिए हठ करती है। राजा जानता है कि भेद प्रकट कर देने से मेर मृत्यु हो जायगी। इसलिए अपनी स्त्री को इधर-उधर की अनेक कहानियाँ कह कर अपने को किसी प्रकार बचाने का वह प्रयत्न करता है। किन्तु राजा जब यह देखता है कि भेद कहे बिना कोई चारा नहीं, तब वह रानी को गङ्गा जैसी किसी पवित्र नदी के किनारे ले जाता है। उसके मन में आता है कि भेद प्रकट करके जब मरना ही है तो किसी पवित्र नदी के तट पर ही भेद प्रकट क्यों न करूँ जिससे मरते समय तो मुझे कम से कम कुछ शान्ति मिले। वहाँ भी वह बकरे-बकरी की बात सुनता है। बकरा कहता है कि देखो, एक राजा अपनी स्त्री के कहने से मृत्यु के मुख में प्रवेश करने जा रहा है। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ जो स्त्री के बुराग्रह को मान कर मृत्यु का आलिङ्गन करूँ। इस प्रकार के वार्तालाप को सुन कर राजा का भी विचार बदल जाता है और वह भेद बिना प्रकट किये ही लौट आता है। किसी-किसी कथा में तो इस प्रकार के वार्तालाप का राजा के मन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह अपनी रानी को घुटनों तक झुकाने के लिए कहता है और उसी समय उसका सिर उतार लेता है।

महाकोशल की एक लोक-कथा के अनुसार एक राजा और रानी ठिंठे हुए थे। रानी राजा से हठ कर रही थी कि मुझे भेद बिना बताये गम नहीं चलेगा। इतने में एक बकरा और बकरी कुएँ के पास आये। कुएँ में हरी-हरी घास उगी हुई थी। बकरी ने कुएँ के अंदर जाने का आचार किया किन्तु उसे डर लगा कि मैं कहीं कुएँ के अंदर गिर न जाऊँ। उसने बकरे से कहा—'पतिदेव ! यदि आप —'

ने कहा—“तुम तो नर हो, तुम्हें गिरने का क्या डर हो सकता है ? यह सुन कर बकरा बोल उठा—‘अब समझा, मैं मर जाऊँ तो तुम कोई डर नहीं क्योंकि तुम किसी दूसरे बकरे से शादी कर लोगी किन्तु मैं ऐसा मूर्ख नहीं जो स्त्री के कहने से अपने प्राणों को जोखम में डालूँ । जीवित रहा तो विवाह करने के लिए मुझे बकरियों की कमी नहीं ।’ राजा ने यह सुन कर रानी से कहा—‘इस बकरे की बुद्धि सराहनोय है; मैं भी इसी का अनुसरण करूँगा । यदि मैं भेद प्रकट कर देता हूँ तो पत्थर के रूप में बदल जाऊँगा किन्तु अब मैं यह करने के लिए कदापि तैयार नहीं । तुम्हारी इच्छा हो, विष खालो, तुम्हारी इच्छा हो, कटारी खाकर मर जाओ, तुम्हारी इच्छा हो, कुएँ में डूब कर प्राण त्याग कर दो । यदि मैं जीवित रहा तो तुम्हारी जैसी अनेक स्त्रियाँ मुझे मिलेंगी ।’ यह कह कर वह घर के लिए लौट पड़ा और उसकी स्त्री भी बिना अनुच किये उसके पीछे होली ।’

उक्त कथा को पढ़कर राजस्थान की प्रसिद्ध लोक-कथा ‘चौबोली’ का स्मरण हो आता है जिसका निम्नलिखित अंश यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

“उज्जैनी नगरी राजा भोज राज करे । तिरण राजा रं च्यारि मित्र ।  
 १ राजा भोज रं घरे श्राया । घरा कायदा किया । अनेक भाँति रो  
 िक्ति हुई । घरा सनमान दे नं कह्यौ—पनरहवौ बिद्या मोनुं जिण  
 ित आवं तिम करौ । ताहरां च्यारां ही कह्यौ—जु बाराही देवी रं  
 १इ नं पूजा आहवांन करि देवी आराहिस्यं । पिरा हेक थोक महाराज  
 रणौ छं । पंण राणीजी अर थां गाढो सुख छं । कोई बात पूछ्यं तो  
 ने मतां । अर नटो तो कन्नो मतरं ।

राजा कह्यो—म्हे क्यां ही नुं कहिस्यां । एक विन राजा आरोगतो और रांणीजी भाख्यां उड़ावता हुता । गछ गरी रौ आंगणौ थौ, रँ एक कीडी चावल ले हाली हुती तितरँ बीजी आइ खोसण नुं । ताहरां कीडी बोली—मो आगा कासूं खोसै । अँ चावल राजा री थाली माहे घणा ही पडिया छै । नुं ओर ले जाह । ताहरां ओ कह्यो—म्हारे पाहुणा आया छै, ले जांवण दे मोनुं । इसी बात लि नै राजा भोज हसीयौ । राजा जीव भाषा सख जाणतौ । रां राणी पूछियौ—जु महाराज, कुण वासतँ हंसीया । राजा नटीयौ । री बहुत गाढ करि पूछण लागा । जु महाराज, मोनुं हंसीया रौ तंत कहीजै । राजा मन में विचारीयो—नटीयौ तो कहण रौ मै । कहीजै तो मरण हुवै । रांणी दांतण फाड़ै नहीं । ताहरां राजा ओ—बात गंगाजी रँ तट कहीजसी । राजा चालीयो । गंगाजी रँ सिहकर सहर हुतौ । बाहिर जाइ उतरीया उवां हरौ कोस पांचे नदी रँ कांठे जंगल माहे डेरा हूया । नदी री हवा देख अर जंगल रीयौ । एकांत पधारीया । आगे कूवौ छै । कूवै माहे काचरा री बेल त फली छै । कूवै कांठे एवड् चरै छै । एक छाली बाकरै नुं कहै छै— माहि काचर ले दै तो तौनुं बरुं । ताहरां बाकरो बोलीयौ—म्हारी तल राजा भोज मिली नही छै । बाइर रँ कहीयै मरण नुं जाइ छै । र साबत तो ब्याह घणां । तिका बात सांभलि नै राजा विचारीयौ हूँ चौदह विद्या रौ निधान सुं म्हारी मति बाकरै कही । राजा पाछै आयो । रांणी आय हजूर बैठी छै । राणी कहै—रावलँ गंगार त कांड करणी छै नहीं, रावलँ विमाह करणौ छै । विमाह करौ तो बोली परणीजिस्थौ ।”

अर्थात् उज्जैन नगरी मे राजा भोज राज्य करता था । उसके चा

कहा कि पन्द्रहवीं विद्या मुझे जिस भाँति आये, वैसा करो। इस पर चारों ने ही कहा कि बराही देवी के यहाँ जाकर पूजा-आवाहन करके हम देवी की आराधना करेंगे। परन्तु महाराज ! एक बात तुमको बरती है। चूँकि रानीजी और तुम में घनिष्ठ प्रेम है, इसलिए यदि वह कोई बात पूछे तो इन्कार मत करना। और यदि इन्कार करदो तो कहना मत। और यदि बात को इन्कार करके कह दोगे तो तुम्हारा मरण होगा।

राजा ने कहा कि हम क्यों कहेंगे। एक दिन राजा भोजन कर रहा था और रानीजी मखियाँ उड़ा रही थीं। पक्का आँगन था। वहाँ एक चीटी चावल लेकर चली। उसी समय दूसरी चीटी आकर छीनने के लिए लिपट गई। तब चीटी ने कहा—‘मेरे आगे से क्यों छीनती है ? ये चावल राजा भोज की थाली में बहुत पड़े हैं। तू और ले जा।’

इस पर चीटी ने कहा—‘हमारे मेहमान आये हैं, मुझे ले जाने दे। ऐसी बात सुन कर राजा भोज हँसा। राजा सब जीवों की भाषा जानता था। तब रानी ने पूछा कि महाराज, आप किस कारण हँसे ? राजा ने इन्कार किया। रानी बहुत आग्रह करके पूछने लगी कि महाराज, मुझे हँसने का वृत्तान्त कहो। राजा ने मन में विचार किया—‘इन्कार कर गया तो अब मैं कहने का नहीं। यदि कह दिया तो मरण होगा। रानी बातुन नहीं करती। तब राजा ने कहा कि गंगाजी के तट पर बात कहूँगा। राजा चला।’

गंगाजी के समीप सिंहकर शहर था। उसके बाहर आकर राजा उतरा। वहाँ से पाँच कोस की दूरी पर एक नदी के समीप जंगल में डेरा डाला गया। नदी की शोभा देख कर राजा जंगल में गया जहाँ

सादे लो में तुम्हें शादी करूँ ।” इस पर बकरे ने कहा—“मेरी बुद्धि राजा भोज जैसी नहीं है जो स्त्री के कहने पर मरने जा रहा है । सिर साबल तो ब्याह घने ।’ यह बात सुन कर राजा ने विचार किया कि मैं चौबहू विद्या निधान और मेरी बुद्धि का भेद एक बकरे ने प्रकट कर दिया । राजा लौटकर डेरे में आया । रानी आकर सामने बैठी । रानी ने कहा कि आपको गंगा की तीर्थ-यात्रा तो कुछ करनी है न—आप तो हमारा विवाह करेंगे । विवाह करे तो चौबोली से करिये ।”

चौबोली के इस कथांग में और पहली उद्धृत की हुई लोक-कथाओं में अद्भुत साम्य है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं:—

१. राजा भोज के चारों मित्र उसे जीव-जन्तुओं की भाया अर्थात् १५ की विद्या सिखलाते हैं किन्तु इस भेद के प्रकट कर देने के दुष्परिणाम के प्रति उसे सतर्क कर देते हैं ।
२. रानी हंसने का कारण पूछती है और राजा भोज बताने से इन्कार कर देता है ।
३. जब रानी हठ ठान लेती है और दातुन नहीं करती तब राजा गंगाजी के तट पर जाकर भेद प्रकट करने की बात कहता है ।
४. बकरे और बकरी की बात सुनकर राजा भोज के मन में प्रायः वैसी ही प्रतिक्रिया होती है जैसी ऊपर उद्धृत ग्रन्थ लोक-कथाओं के नायकों के मन में होती है ।
५. ग्रन्थ लोक-कथाओं की भाँति हंसी का कारण जीवियों का परस्पर वार्तालाप है ।

किन्तु राजस्थानी कथाकार ने एक बात कही है जो सामने



ना करना पड़ेगा। 'या तो इन्कार मत करना' यह शर्त राजस्थानी कथा के अतिरिक्त अन्य किसी लोक-कथा में नहीं है। अन्य बातों की दृष्टि से कुछ भिन्न भले हों किन्तु मूलतः एक है।

हाँ, राजस्थानी कथा की परिणति कुछ भिन्न मालूम पड़ती है। उसे एक ऐसा अवसर मिल गया है जिसके कारण वह भेद प्रकट करने के संकट में बच गया है। जब रानी यह कहने लगती है कि मैंने गंगाजी की जात तो कुछ देनी है नहीं, आपको तो चौबोली बताना ही तो कथा का प्रवाह दूसरी ओर प्रवाहित होने लगता है।

इसका कारण सम्भवतः यह है कि यह चौबोली का कथांश साधारण कथा नहीं। चौबोली की मुरय कथा की अवतारणा के लिए स्वतन्त्र लोक-कथाकार को इस प्रकार की परिणति का आश्रय लेना पड़ा है। यदि उक्त कथा-खण्ड स्वतन्त्र कथा के रूप में लिखा जाता तो निश्चित है कि इस स्वतन्त्र कथा की परिणति भी अन्य लोक-कथाओं की भाँति ही होती। बकरे और बकरी की बात सुनकर राजा भी प्रकट करके कभी भी अपने प्राणों को जोखम में न डालता।

'नटो तो कहो मत' इसे एक स्वतन्त्र मूल अभिप्राय के रूप में माना जा सकता है। पिछले पृष्ठों में उपश्रवण (Overhearing) के एक मूल अभिप्राय की चर्चा की गई है। उससे इस अभिप्राय की समानता होते हुए भी दोनों अभिप्राय परस्पर भिन्न हैं। उपश्रवण के मूल अभिप्राय में अनागत विपत्तियों की चेतावनी देना जाणकारी का मुख्य लक्ष्य है, वहाँ इस अभिप्राय में जीव-जन्तुओं की जान बचाने पर विशेष बल दिया जाता है। हाँ, दोनों ही अभिप्रायों में यह बात अवश्य समान है कि भेद प्रकट कर देने पर खतरे का सामना